

मामलों का विवरण

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य (2011 की आपराधिक अपील संख्या 2239-2240) 06 अक्टूबर, 2023

[एम. एम. सुंदरेश और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे: यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी. पी. एस. अधिनियम) की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए गलती की क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज करने में त्रुटि की कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 वर्तमान मामले में लागू नहीं थी क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के परिणामस्वरूप नहीं की गई थी, बल्कि उसके थैले की तलाशी के कारण की गई थी।

मुद्दा यह था कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 वर्तमान मामले में बिल्कुल भी लागू थी। इसलिए, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में आने वाले वाक्यांश "किसी भी व्यक्ति की खोज करने" का क्या अर्थ होना चाहिए। क्या "किसी व्यक्ति की तलाशी लेना" वाक्यांश का अर्थ है (ए) व्यक्ति या उसके शरीर पर वस्तुओं की तलाशी; (बी) तत्काल कब्जे में ऐसी वस्तुओं की तलाशी शामिल होगी जो उसके द्वारा ले जाए गए बैग या अन्य सामान के रूप में या तलाशी लेने वाले व्यक्ति के भौतिक कब्जे में हो; (सी) बैग या सामान की तलाशी शामिल होगी जो व्यक्ति के कब्जे में माना जाता है, भले ही वह घर या रेलवे के डिब्बे में या हवाई अड्डे पर पड़ा हो; या (डी) क्या धारा 50 के आवेदन को किसी स्थान, वाहन या घर की तलाशी के मामले में बढ़ाया जा सकता है यदि आरोपी तलाशी के समय शारीरिक रूप से मौजूद हो।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-अभियुक्तों के थैले में तलाशी-एस की प्रयोज्यता। **50** - निर्धारित यू/एस के अनुसार "किसी व्यक्ति की खोज" में क्या शामिल होगा। **50** - शब्द "व्यक्ति"-कैसे समझा जाए-क्या अभियुक्त द्वारा ले जाए गए थैले को **290** माना जा सकता है।

289

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अभियुक्त के साथ अटूट रूप से जुड़ा होना, और इसलिए, एस का पालन किए बिना ऐसे थैले से किसी प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी।**50** अस्वीकार्य होगा-कानूनों की व्याख्या।

आयोजित किया गया:बलदेव सिंह मामले में संविधान पीठ के अनुसार, एस के प्रावधान।**50** पवन कुमार मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "व्यक्ति" शब्द केवल अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में ही लागू होगा, न कि किसी सामान जैसे बैग, वस्तु या पात्र आदि के मामले में जो वह ले जा रहा होगा।**50** पवन कुमार मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एक बाहरी वस्तु जो शरीर का हिस्सा नहीं है, वह "व्यक्ति" शब्द के दायरे से बाहर है जो एस में आता है।**50** एन. डी. पी. एस. अधिनियम के-स्पष्ट और असंदिग्ध वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, बलदेव सिंह और पवन कुमार में समझाई गई व्याख्या के अलावा किसी अन्य तरीके से धारा 50 की व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है-किसी को भी कानून के सिद्धांत का पालन करना चाहिए जैसा कि संविधान पीठ ने बलदेव सिंह और पवन कुमार में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा समझाया गया है-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया गया था और साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह कहने में भी सही था कि एस.**50** एन. डी.पी. एस. अधिनियम के अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वसूली थैले से हुई थी।[पारस 49,83,114,124 और 125]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, **1985** -एस. **50**-का उद्देश्य:

आयोजित किया गया:एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का मुख्य उद्देश्य अभियोजन या अधिकृत अधिकारी द्वारा कुछ लगाने या सबूत गढ़ने के आरोप से बचना है।[पैरा 33]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, **1985** -एस **50**-वाक्यांश "किसी भी व्यक्ति को खोजने के लिए" एस में हो रहा है।**50** - इसका अर्थ-दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** -s.100 (3)।

आयोजित किया गया:"किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने" वाक्यांश का अर्थ केवल शरीर की तलाशी लेना या ऐसे व्यक्ति के परिधान पहनना होगा और उस मामले में जिस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित होगी-इसके विपरीत, यदि किसी भी इमारत, वाहन या **291** की तलाशी ली जाती है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **292**

सार्वजनिक स्थान सहित किसी स्थान पर तलाशी ली जानी है, तो धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है-हालांकि, जब किसी संदिग्ध या गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, तो धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अमल में आती है और उसके तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है-यह दंड प्रक्रिया संहिता **1973**

की धारा 100 (3) का उल्लेख करके देखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति पर किसी भी वस्तु के बारे में छिपाने का संदेह है, जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति एक महिला है, तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी-वह छिपाना जो संदिग्ध है, उस व्यक्ति पर या उसके व्यक्ति के बारे में है।[पैरा 36]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985 -एस. 50-जब लागू होता है और जब नहीं होता है:

आयोजित किया गया:जहां कोई पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए अपराध या संदिग्ध अपराधों की जांच के सामान्य क्रम में है और ऐसी जांच के दौरान जब कोई तलाशी पूरी हो जाती है और उस प्रक्रिया में किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ के कब्जे में गड़बड़ी होती है, तो धारा 50 को लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा-कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किसी भी मादक पदार्थ और मादक पदार्थ के कब्जे के बारे में कोई पूर्व सूचना के बिना, एक पुलिस अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान तलाशी ली होगी और इसलिए, यह कहना लगभग असंभव होगा कि ऐसी स्थिति में भी, धारा 50 के आवेदन से कोई लाभ होगा।धारा 50 केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होती है, और इसका कोई आवेदन नहीं होगा जहां किसी भी अपराध के संबंध में किसी अन्य क़ानून के तहत तलाशी ली गई थी।[पारस 42 और 64]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985 -धारा 50-अभियुक्त के अधिकार-राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाने वाली तलाशी के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।

आयोजित किया गया:धारा 50 के तहत तलाशी लेने के इच्छुक व्यक्ति को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है-संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उसे केवल दो विकल्प दिए जाने चाहिए जो धारा के तहत प्रदान किए गए हैं।[पैरा 56]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985 -एस. 50 -

राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के अधिकार को माफ करने वाला आरोपी-क्या यह अभी भी अनिवार्य है कि उसकी तलाशी केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाए:

आयोजित किया गया:मादक पदार्थ या मादक पदार्थ रखने के संदेह वाले व्यक्ति की तलाशी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, यदि उस व्यक्ति की तलाशी लेने का प्रस्ताव किया जाता है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकार के बारे में अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के बाद, अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का चुनाव करके इस तरह के अधिकार को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया जाता है-"यदि ऐसे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है" शब्द, जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) में उपयोग किया गया है, यदि तलाशी लेने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले ही तलाशी लेने की आवश्यकता होगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुपालन अब से संभावित रूप से लागू होगा।[पारस 62,63] 293

रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 50 -

अभियुक्त के अधिकार-राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाने वाली तलाशी के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार-ऐसे अधिकार के संचार का तरीका जब कई व्यक्तियों की तलाशी ली जानी हो।

आयोजित किया गया:कई व्यक्तियों की तलाशी लेने के मामले में, उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक को अपनी क्षमता में इसका प्रयोग या त्याग करना चाहिए-इस अधिकार का कोई भी संयुक्त या सामान्य संचार धारा 50 का उल्लंघन होगा।[पैरा 64]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 50-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अलावा अन्य कानून के तहत तलाशी के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत निषिद्ध पदार्थों की वसूली-क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

आयोजित किया गया:जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के तहत तलाशी के दौरान, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया जाता है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू होने लगेंगे, हालांकि ऐसी स्थिति में धारा 50 का पालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि तलाशी पहले ही की जा चुकी थी।[पैरा 64]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 50-सबूत का बोझ।

आयोजित किया गया:अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का भार है कि तलाशी लेने से पहले धारा 50 द्वारा लगाए गए दायित्व का विधिवत पालन किया गया था।[पैरा 64]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, **1985**-धाराओं के उल्लंघन में वसूली।**50**
- के परिणाम-क्या एस का गैर-अनुपालन।**50** मुकदमे को दूषित कर देगा।

आयोजित किया गया:एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय और धारा 50 का उल्लंघन करते हुए बरामद किया गया कोई भी आपत्तिजनक निषिद्ध पदार्थ अस्वीकार्य होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यह उसी के संबंध में मुकदमे को दूषित नहीं करेगा-कोई भी अन्य वस्तु जो बरामद की गई है, उस पर किसी अन्य स्वतंत्र कार्यवाही में भरोसा किया जा सकता है।[पैरा 64]

क्रानूनों की व्याख्या-व्याख्या का शाब्दिक नियम-समझाया गया।

294

आयोजित किया गया:यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी भी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट और स्पष्ट है-एक कानून विधायिका का एक आदेश है-एक कानून में नियोजित भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है-निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए-सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि क्या कहा गया है।[पैरा 115]

क्रानूनों की व्याख्या-निर्माण का सिद्धांत-कैसस

ओमीसस।

आयोजित किया गया:न्यायालय द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसके लिए कारण कानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामले में चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामले में चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक कानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड का संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण पूरे कानून का सुसंगत अधिनियमन कर सके-यह अधिक होगा यदि किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुका या विसंगत परिणामों की ओर ले जाता है जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं किया जा सकता था।[पैरा 118]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172:[1999] 3 एससीआर 977

और केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर,

अहमदाबाद [1965] 2 एस. सी. आर. 908-इसके बाद आया।एच. पी. बनाम राज्यपवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350:[2005] 3 एस. सी. आर. 417-निर्भर।

एस. के. राजू उर्फ अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018) 9 एस. सी. सी. 708:[2018] 10 एस. सी. आर. 731 और राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और

एक और (2014) 5 एससीसी 345:[2014] 3 एस. सी. आर. 522-लागू नहीं हुआ।

यासी योबिन।बनाम सीमा शुल्क विभाग, शिलांग (2014) 13 एस. सी. सी.

344 - अच्छा कानून नहीं था।

आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य (2018) 18 एससीसी 380:[2018] 6 एस. सी. आर. 787; पंजाब राज्य बनाम हरजिंदर सिंह (2019) 10 एस. सी. सी. 473:

रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

295

[2019] 13 एस. सी. आर. 520; पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह (1994) 3 एस. सी. सी. 299:[1994]

2 एस. सी. आर. 208; गुरजंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 13 एस. सी. सी. 603: [2013] 12

एससीआर 180; अली मुस्तफ ए अब्दुल रहमान मूसा बनाम केरल राज्य (1994) 6 एससीसी 569:[1994] 4 पूरक।एस. सी. आर. 52; सैयद मोहम्मद।सैय्यद उमर सैय्यद और ओरस. वी.

गुजरात राज्य (1995) 3 एससीसी 610:[1995] 3 एससीआर 117; मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य (1996) 11 एससीसी 391:[1996] 1 एससीआर 837; जोसेफ फर्नांडीज बनाम।

गोवा राज्य (2001) 1 एससीसी 707; प्रभा शंकर दुबे बनाम एम. पी. राज्य (2004)

2 एससीसी 56:[2003] 6 पूरक।एस. सी. आर. 444; विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 609:[2010] 13 एस. सी. आर. 255; कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 257:[1999] 2 पूरक।एस. सी. आर. 670; सरजुदास बनाम

गुजरात राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 508; बीरकिशोर कर बनाम उड़ीसा राज्य (2000) 9 एस. सी. सी. 541; कन्हैया लाल बनाम एम. पी. राज्य। (2000) 10 एससीसी 380:गुरबख्श सिंह

बनाम हरियाणा राज्य (2001) 3 एस. सी. सी. 28:[2001] 1 एस. सी. आर. 882; बेकोडन अब्दुल रहिमान बनाम केरल राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 229:[2002] 3 एस. सी. आर. 53; मदन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 7 एस. सी. सी. 465: [2003] 2 पूरक।एससीआर

716; पंजाब राज्य बनाम माखन चंद (2004) 3 एस. सी. सी. 453; साइकोउ जब्बी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2004) 2 एससीसी 186:[2003] 6 पूरक।एससीआर 456; नामदी फ्रांसिस नवाज़ोर बनाम भारत संघ (1998) 8 एस. सी. सी. 534; अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य (2000) 2 एस. सी. सी. 513:[2000] 1 एससीआर 542; राजस्थान राज्य बनाम दौलत राम (2005) 7 एससीसी 36:[2005] 2 पूरक।एससीआर 880; हरियाणा राज्य बनाम माई राम (2008) 8 एससीसी 292:[2008] 11 एस. सी. आर. 586; सुखबीर कौर बनाम पंजाब राज्य (2009) 15 एस. सी. सी. 795:[2009] 10 एस. सी. आर. 29; अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 746: [2010] 2 एससीआर 785; जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 3 एससीसी 521: [2011] 2 एससीआर 888; सुरेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) 1 एससीसी 550: [2012] 10 एस. सी. आर. 1157; भारत संघ बनाम शाह आलम (2009) 16 एस. सी. सी. 644:[2009] 9 एस. सी. आर. 1118; दयालू कश्यप बनाम राज्य

छत्तीसगढ़ (2022) 12 एस. सी. सी. 398; भारत संघ बनाम भारत के फिलिप टियागो डी गामा

वेदेम वास्को डी गामा (1990) 1 एस. सी. सी. 277:[1989] 2 पूरक।एससीआर 336; डी. आर.

वेंकटाचलम बनाम डी. परिवहन आयुक्त (1977) 2 एससीसी 273:[1977] 2 एस. सी. आर. 392; ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (2000) 5 एससीसी 515:[2000] 1 पूरक।एससीआर 38; पद्म सुंदरा राव (मृत) और अन्य बनाम

राज्य टी. एन. और अन्य। (2002) 3 एससीसी 533:[2002] 2 एस. सी. आर. 383 और एच. पी. राज्य बनामपवन कुमार (2004) 7 एस. सी. सी. 735-संदर्भित।

लेहार्ड वैली कोल कं. बनामयेनसावेज, 218 एफआर 547; आर्टेमिउ बनाम प्रोकोपियोउ

(1966) 1 क्यू. बी. 878; ल्यूक बनाम आई. आर. सी. [1963] एसी 557:(1963) 1 सभी ई. आर. 655-संदर्भित।

296

जॉन सी. डेरनबाचेट।अल।, ए प्रैक्टिकल गाइड टू लीगल राइटिंग एंड लीगल मेथड (1994)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील संख्या 2239-2240।

1999 के सी. आर. एल. ए. सं. 356 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.08.2010 और 16.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।अनिल नाग, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. शीर्षांकित अपील नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में, "एन. डी. पी. एस. एक्ट") की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी एक दोषी के कहने पर की जाती है और यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 1999 की आपराधिक अपील संख्या 356 में पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के नेतृत्व में अपील को मंजूरी दी और इस तरह 1998 की सत्र सुनवाई संख्या 44 में कुल्लू के सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की बरी करने की अपील को स्वीकार करने के साथ, अपीलार्थी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहरा दिया गया।

2. अपीलार्थी को सजा के बिंदु पर सुना गया और अंततः, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50, 000/- (केवल पचास हजार रुपये), और शुल्क का भुगतान न करने पर छह महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

297

रोग होने का कारण

3. ए. एस. आई. लाल सिंह (पीडब्लू 14) हेड कांस्टेबल मोहन लाल (पीडब्लू 12), कांस्टेबल संत राम (पीडब्लू 13) और कांस्टेबल बलदेव दास (पीडब्लू 6) के साथ गश्त पर थे। शाम करीब साढ़े छह बजे जब वे सभी ढालपुर में थे, एसआई लाल सिंह (पीडब्लू 14) को एक गुप्त सूचना मिली कि सफेद टी-शर्ट और हरी पतलून पहने एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्ति सरवारी बस स्टैंड पर खड़ा है और दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ने के लिए तैयार है। जानकारी यह थी कि बस स्टैंड पर उक्त व्यक्ति के पास चरस के रूप में प्रतिबंधित पदार्थ था। गुप्त जानकारी को पीडब्लू 14 द्वारा दर्ज किया गया था और कांस्टेबल बलदेव दास (पीडब्लू 6) के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, कुल्लू को भेजा गया था। एसआई लाल सिंह (पीडब्लू 14), एचसी मोहन लाल (पीडब्लू 12) और कांस्टेबल संत राम (पीडब्लू 13) तदनुसार सरवारी बस स्टैंड के लिए रवाना हुए और शाम करीब 6.45 बजे वहां पहुंचे। अधिकारी बस स्टैंड पर कंधे पर एक थैला लिए हुए उक्त व्यक्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने में सक्षम थे। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त व्यक्ति को अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए कहा गया। बस स्टैंड पर खड़े व्यक्ति ने अपनी पहचान नई दिल्ली निवासी श्री वेद प्रकाश चड्ढा के बेटे रंजन कुमार चड्ढा के रूप में बताई। चूंकि पुलिस अधिकारियों को संदेह था कि वह चरस ले जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे पुलिस के सामने या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने का विकल्प दिया। संबंधित व्यक्ति पुलिस के सामने तलाशी लेने के लिए सहमत हो गया। अभियुक्त के व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, पुलिस अधिकारियों ने गवाहों के सामने खुद तलाशी ली। जिस बैग को आरोपी अपने साथ ले जा रहा था, उसकी भी तलाशी ली गई। थैले की तलाशी के परिणामस्वरूप चरस युक्त तीन पॉलीथीन थैले बरामद हुए। उसके थैले से ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी कई अन्य वस्तुएं भी बरामद की गईं। जब चरस का वजन किया गया तो वह 1 किलो पाया गया। 250 ग्राम।

4. चरस वाले पॉलिथीन थैलों से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए और शेष चरस को "एच" मुहर से सील कर दिया गया। एन. सी. बी. प्रपत्र पर मुहर की छाप भी ली गई और मुहर पी. डब्ल्यू. 9 सुरिंदर कुमार को सौंप दी गई। रिकवरी मेमो एक्स्ट के माध्यम से चरस को कब्जे में ले लिया गया। पी. के. जिस पर गवाह पी. डब्ल्यू. 9 सुरिंदर कुमार, पी. डब्ल्यू. 10 करम सिंह और पी. डब्ल्यू. 12 मोहन लाल ने हस्ताक्षर किए। अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार आदि के बारे में मेमो एक्स्ट के माध्यम से सूचित किया गया था। पी. एल. रुका एक्सट। पी. जी. तैयार करके सिपाही संत के माध्यम से पुलिस स्टेशन भेजा गया।

राम। साइट प्लान एक्सट। पी. पी. मौके पर ही तैयार था। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद, पीडब्लू 14 आरोपी के साथ पुलिस स्टेशन आया और एस. एच. ओ. के सामने नमूने और एन. सी. बी. प्रपत्र सहित मामले की संपत्ति जमा की, जिन्होंने मामले की संपत्ति और सील-एक्स के साथ नमूनों को फिर से सील कर दिया। नमूनों में से एक को रासायनिक जांच के लिए सी. आई. एल., कंडाघाट भेजा गया और विस्तृत रिपोर्ट दी गई। पी. ओ. नमूने चरस के पाए गए जिनमें 33.58% की राल सामग्री थी। एहि आधार पर अभियुक्त पर उपरोक्त अपराध करबाक आरोप लगाओल गेल छल।

5. अभियुक्त ने निचली अदालत के समक्ष अपना दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियुक्त का बचाव यह था कि जब बस दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी और जब अभियुक्त कुछ अन्य यात्रियों के साथ बस में बैठा था, तो एक लावारिस थैला मिला और अभियुक्त को गलत तरीके से उक्त थैले का मालिक बताया गया। संक्षेप में, विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त का मामला यह था कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

6. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और तदनुसार, आरोपी को बरी कर दिया।

7. हिमाचल प्रदेश राज्य, निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया। अपील को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसमें अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

9. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्रीमती प्रज्ञा बघेल ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है। वह प्रस्तुत करेगी कि उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के एक उचित तर्कपूर्ण फैसले में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने 299 दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 300

यह मानते हुए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के परिणामस्वरूप नहीं

बल्कि उसके थैले की तलाशी के कारण की गई थी।**10.** यह तर्क दिया गया था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में आने वाले "किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने" का अर्थ है तलाशी लेने वाले व्यक्ति के व्यक्ति या शरीर पर वस्तुओं की तलाशी के साथ-साथ तत्काल कब्जे में वस्तुओं की तलाशी जैसे बैग और उसके द्वारा ले जाए गए अन्य सामान या तलाशी लेने वाले व्यक्ति के भौतिक कब्जे में।

11. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का उसके अक्षर और भावना में पालन नहीं किया गया था जैसे कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी को पुलिस या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, फिर भी अपीलार्थी आरोपी को यह नहीं बताया गया कि मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना उसका अधिकार है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह तथ्य कि आरोपी को पुलिस कार्यालय के समक्ष तलाशी लेने का तीसरा विकल्प भी दिया गया था, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन करता है। वह तर्क देगी कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 अनिवार्य है और निचली अदालत ने सही निर्णय दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था।

12. अंत में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के व्यक्ति के साथ-साथ उसके पास मौजूद सामान की तलाशी के मामले में, ऐसी परिस्थितियों में भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 लागू होगी और इसका पालन करना होगा। वह तर्क देगी कि मामले में न केवल आरोपी के व्यक्ति की तलाशी ली गई थी, बल्कि थैले की तलाशी भी ली गई थी। इस निवेदन को मजबूत करने के लिए, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

एस. के. का मामला। राजू उर्फ अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2018) 9 एस. सी. सी. 708 में सूचित किया गया। विद्वान वकील के अनुसार, एस. के. में इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात। राजू (ऊपर) का कहना है कि यदि तलाशी बैग के साथ-साथ आरोपी के व्यक्ति दोनों की है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 को आकर्षित किया जाएगा।

13. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

राज्य के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

14. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनिल नाग ने इन अपीलों का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है। वह तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए न्यायसंगत ठहराया था। यह जोरदार तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 बिल्कुल भी लागू नहीं है क्योंकि तलाशी केवल उस थैले की गई थी जिसे अपीलार्थी अपने कंधे पर ले जा रहा था और अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी नहीं ली गई थी। यह तर्क दिया गया था कि एस. के. में इस न्यायालय का निर्णय। राजू (उपरोक्त) का अपीलार्थी के लिए इसमें कोई लाभ नहीं है क्योंकि उक्त मामले में न केवल अभियुक्त के व्यक्ति की तलाशी ली गई थी, बल्कि थैले की भी तलाशी ली गई थी और चूंकि वर्जित पदार्थ की बरामदगी थैले से हुई थी, इसलिए इस न्यायालय का विचार था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 को आकर्षित किया जाएगा।

15. अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस न्यायालय के फैसले पर पूरी तरह से भरोसा जताया

पंजाब राज्य बनाम बलविंदर सिंह के मामले में रिपोर्ट (2019) 10

एससीसी 473। 16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

17. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने में कोई त्रुटि की है?

18. इससे पहले कि हम दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विज्ञापन करें, हमें उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए प्रासंगिक निर्णयों पर गौर करना चाहिए।

19. निचली अदालत ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 और उसके अनुपालन पर चर्चा करते हुए बरी किए जाने के अपने फैसले में कहा:

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

“11. अधिनियम की धारा 5 ओ के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, जो अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान भी है, इस सहमति ज्ञापन EX.PG के किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया है। छापा मारने वाले दल में शामिल हुए पीडब्लू-9 सुरिंदर कुमार और पीडब्लू-10 करम सिंह स्वतंत्र गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी उपस्थिति में आरोपी को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही आरोपी ने लिखित रूप में पूर्व समर्थन दिया था। उनकी उपस्थिति में पीजी/1।पीडब्लू-14 एसआई लाल सिंह का केवल खुला बयान है कि यह नोटिस अभियुक्त को दिया गया था, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार मौके पर स्वीकार्य रूप से स्वतंत्र गवाह मौजूद थे, जिन्हें अदालत में शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, तो यह साबित करना अभियोजन पक्ष का काम था कि इन गवाहों ने अदालत से सच्चाई को दबा दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि उन्हें अभियोजन पक्ष के खिलाफ या अभियुक्त के पक्ष में गलत तरीके से गवाही क्यों देनी चाहिए थी और इसलिए, यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जो अनिवार्य प्रावधान है और इस मामले में अभियुक्त रंजन चड्ढा बरी होने का हकदार है। इसके अलावा आरोपी के थैले से चरस की बरामदगी कथित तौर पर पीडब्लू-9 सुरिंदर कुमार और पीडब्लू-10 करम सिंह के अलावा पीडब्लू-12 एचसी मोहन लाल, पीडब्लू-13 संत राम और पीडब्लू-14 एसआई लाल सिंह की उपस्थिति में हुई। हालाँकि दोनों स्वतंत्र गवाहों पीडब्लू-9 सुरिंदर कुमार और पीडब्लू-10 करम सिंह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया है जब उन्होंने गवाही दी कि उनकी उपस्थिति में अभियुक्त के कब्जे में कोई बैग नहीं मिला था और न ही उनकी उपस्थिति में अभियुक्त की तलाशी ली गई थी और उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, उनकी प्रतिपरीक्षा में कि उन्हें गलत तरीके से गवाही क्यों देनी चाहिए थी। इन गवाहों के बयानों से, जिन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, मेरी राय है कि अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के सचेत और अनन्य कब्जे से चरस की कथित बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में उचित संदेह पैदा किया गया है और तदनुसार अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए, यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि 23.8.1998 पर शाम 6:30 बजे 1.250 ग्राम चरस आरोपी बिंदु संख्या के सचेत और अनन्य कब्जे से बरामद किया गया था। मुझे तदनुसार जवाब दिया जाता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

20. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश को उलटते हुए और विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के लागू होने के मुद्दे पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“जहाँ तक अधिनियम की धारा 50 का संबंध है, वही वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के

परिणामस्वरूप नहीं हुई थी, बल्कि उसके थैले से तलाशी के कारण हुई थी। ऐसी स्थिति में पुलिस को अधिनियम की धारा 50 का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में शीर्ष के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार नवीनतम एचएलजे 2004 [एससी] 1247 में न्यायालय।”

रिकॉर्ड पर मौखिक प्रमाण:-

21. अब हम पीडब्लू 12 मोहन लाल के बयान पर गौर करेंगे। हेड कांस्टेबल नं. 175, कुल्लू पुलिस स्टेशन। पीडब्लू 12 ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार अपदस्थ किया है:-

“उन्होंने कहा कि मैं 1997 से पी. एस. कुल्लू में तैनात हूँ। आई. डी. 1 को ए. एस. आई. लाल सिंह, सिपाही संत राम और बलदेव दास के साथ शाम 5:30 बजे पी. एस. कुल्लू से गश्त के लिए रवाना हुए। शाम करीब साढ़े छह बजे ए. एस. आई. को धलपुर में गुप्त सूचना मिली। जिसके बाद ए. एस. आई. लाल सिंह ने सूचना रिपोर्ट तैयार की और कॉन्स्टैंट के माध्यम से एस. पी. को भेजी। बलदेव दास और मैं और ए. एस. आई. लाल सिंह और कॉन्स्ट। संत राम बस स्टैंड गए। कुल्लू (सरबरी)। हम शाम 6:45 बजे सरबरी बस स्टैंड पहुंचे। सुरेंद्र, बस स्टैंड प्रभारी और करम सिंह को जांच में शामिल किया गया। अदालत में मौजूद आरोपी रंजन चड्ढा बस स्टैंड के बरामदे में खड़ा था और उसके कंधे पर काले नीले रंग का थैला था। गवाह सुरेंद्र और करम सिंह के सामने, ए. एस. आई. लाल सिंह द्वारा अभियुक्त को इस आशय का नोटिस जारी किया गया था कि ए. एस. आई. को आशंका है कि आपके पास चरस हो सकता है और क्या वह ए. एस. आई. को या जी. ओ. या मजिस्ट्रेट के सामने अपनी तलाशी देना चाहता है। अभियुक्त ने लिखित में बताया कि वह चाहता है कि उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जाए। इसका ज्ञापन भी तैयार किया गया था। आरोपी ने अपना नाम रंजन कुमार चड्ढा बताया। उसके बाद आरोपी को गवाहों के साथ एक कमरे में ले जाया गया जो बस स्टैंड के प्रभारी के कमरे से सटा हुआ है। एसआई ने थैले की तलाशी ली और रंजन चड्ढा के निजी सामान के अलावा तीन पॉलीथीन पैकेटों में चरस 303 थे।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 304

थैले से बरामद किया गया और इसका वजन किया गया और चरस 1 किलो पाया गया। 250 ग्राम। जिसमें से 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए। प्रत्येक को लिया गया और नमूना लिया गया और बरामद किए गए चरस को दो पैकेटों में सील एच के साथ अलग से सील कर दिया गया। नमूनों पर सील लगाने के बाद, मुहर सुरेंद्र कुमार गवाह को सौंप दी गई। उसके बाद ए. एस. आई. ने रक्का तैयार किया और उसे सिपाही को दे दिया जो रक्का को पुलिस स्टेशन ले गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तारी और सजा के आधार के बारे में बताया

गया। अभियुक्त और गवाह सुरेंद्र सिंह, करम सिंह और मैंने सहमति ज्ञापन Exh.PJ, रिकवरी ज्ञापन Exh.PK, गिरफ्तारी के आधार Exh.PN. Exh.P.1 पैकेट और Exh.P.2 नमूने पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं। अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई। Exh.PE व्यक्तिगत खोज के ज्ञापन पर गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं।”

22. हमने बचाव पक्ष के वकील द्वारा पीडब्लू 12 की प्रतिपरीक्षा पर भी ध्यान दिया। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि पीडब्लू 12 की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ठोस नहीं पाया जा सका। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि गवाह को दिए गए सुझावों के अलावा, प्रतिपरीक्षा का कोई अन्य रूप नहीं है।

23. अब हम कुल्लू पुलिस स्टेशन के पीडब्लू 14 एसआई लाल सिंह के साक्ष्य पर गौर करेंगे। पीडब्लू 14 ने अपने मुख्य परीक्षण में निम्नानुसार अपदस्थ किया है:-

“उन्होंने कहा कि मैं 1997 से पी. एस. कुल्लू में तैनात हूँ। आई. डी. 1 को मैं एच. सी. मोहन लाल, सिपाही संत राम और बलदेव दास के साथ शाम 5:30 बजे पुलिस स्टेशन कुल्लू से गश्त के लिए निकला। प्रस्थान रिपोर्ट जी. डी. में दर्ज की गई थी। जब हम शाम 6:30 बजे ढालपुर में मौजूद थे, तो मुझे मुखबिर से जानकारी मिली कि सफेद टी-शर्ट और हरा पायजामा पहने और फ्रेंच दाढ़ी वाले और स्वस्थ व्यक्ति के पास एक बड़ा थैला है और वह चरस के साथ सरबारी बस स्टैंड से बस से दिल्ली जाने के लिए तैयार है। इसके बाद मैंने सूचना रिपोर्ट तैयार की और उसे सिपाही बलदेव दास के माध्यम से कुल्लू के पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। Exh.PB इसकी प्रतिलिपि है। उसके बाद मैं, एच. सी. मोहन लाल, सिपाही संत राम के साथ पैदल ही सरबारी बस स्टैंड गया और हम शाम 6:45 बजे सरबारी बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड के प्रभारी सुरेंद्र कुमार और करम सिंह को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया जो जांच में शामिल हुए। मुखबिर द्वारा बताए गए समान विशेषताओं वाला व्यक्ति उस बस स्टैंड पर खड़ा पाया गया, जिसके कंधे पर एक थैला था। गवाहों के सामने मैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उस व्यक्ति का नाम पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम रंजन कुमार चड्ढा पुत्र वेद प्रकाश चड्ढा, सर्व प्रिया विहार, नई दिल्ली बताया। गवाहों के सामने, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि पुलिस को आशंका है कि उसके पास चरस है और क्या वह चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत खोज पुलिस द्वारा की जाए या किसी जी...या मजिस्ट्रेट। अदालत में मौजूद आरोपी वही व्यक्ति है जिसने लिखित और मौखिक रूप से अपनी सहमति दी थी कि वह मुझे अपनी तलाशी देने के लिए तैयार है। इस संबंध में सहमति ज्ञापन Exh.PJ तैयार किया गया था और आरोपी ने अपनी लिखावट में वही लिख कर अपनी सहमति दे दी है। उसके बाद मैंने गवाहों की उपस्थिति में Exh.PM के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत खोज की। फिर आरोपी के बैग की गवाहों के सामने तलाशी ली गई। बैग काले नीले रंग का था जिस पर MITRE लिखा हुआ पाया गया था। थैले की

तलाशी लेने पर आरोपी के अन्य सामानों जैसे डी. एल., डायरी आदि के अलावा तीन पॉलीथीन पैकेट बरामद किए गए जिनमें बत्तियों के रूप में चरस और गोलियाँ बरामद की गईं। वजन होने पर 1 किलो चरस लें। 250 ग्राम। बरामद चरस में से 25 ग्राम के 2 नमूने पाए गए। प्रत्येक को बाहर निकाला गया और चरस और नमूनों को सील एच के साथ सील कर दिया गया। एन. सी. बी. प्रपत्र और नमूना मुहर लगाने के बाद, गवाह सुरेंद्र कुमार को सील सौंप दी गई। चरस को जब्ती ज्ञापन Exh.PJ के माध्यम से जब्त किया गया था, जिस पर आरोपी ने उसके हस्ताक्षर किए थे और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार आदि के बारे में Exh.PN के माध्यम से सूचित किया गया था। रक्का Exh.PH तैयार किया गया और सिपाही संत राम के माध्यम से पुलिस स्टेशन भेजा गया और एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद वह पुलिस स्टेशन से फाइले लाया। साइट प्लान Exh.PP सही ढंग से तैयार किया गया था। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुरेन्द्र कुमार मार्केड एक्स का बयान, जिसे अब Exh.PQ के रूप में प्रदर्शित किया गया है और करम सिंह मार्केड वाई का बयान जिसे अब Exh.PR के रूप में प्रदर्शित किया गया है, मेरे द्वारा सही ढंग से दर्ज किया गया है जैसा कि उन्होंने दिया है। उनके बयानों में कुछ भी नहीं छोड़ा गया और न ही मेरा अपना कुछ जोड़ा गया। व्यक्तिगत खोज का ज्ञापन Exh.PE तैयार किया गया और आरोपी से दिल्ली बस के लिए टिकट Exh.PF बरामद किया गया। इसके बाद मैं आरोपी और मामले की संपत्ति के साथ पुलिस स्टेशन आया। केस प्रॉपर्टी, सैंपल और एन. सी. बी. फॉर्म मेरे द्वारा एस. एच. ओ. को जमा किए गए थे जिन्होंने केस प्रॉपर्टी को सील कर दिया था और सील एक्स के साथ सैंपल। अभियुक्त को 24.8.98 पर अदालत में पेश किया गया और अभियुक्त की रिमांड प्राप्त की गई। जाँच के दौरान आरोपी ने बताया कि चरस 305 है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नाथन एशले ने उसे दिल्ली ले जाने के लिए दिया और वह व्यक्ति बस स्टैंड के पास स्थित नेस्ट गेस्ट हाउस में रह रहा है। हम उस गेस्ट हाउस में गए लेकिन वहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। 25.8.98 पर मैंने विशेष रिपोर्ट तैयार की और इसके माध्यम से एसपी को भेजी। सिपाही लक्ष्मण दास और Exh.PC उसी की प्रतिलिपि है। जाँच पूरी करने के बाद एस. एच. ओ. को दस्तावेज़ और कागजात दिए गए जिन्होंने (एस. एच. ओ.) चालान तैयार किया है।”

24. हमने बचाव पक्ष के वकील द्वारा पीडब्लू 14 की प्रतिपरीक्षा पर भी ध्यान दिया। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि पीडब्लू 14 की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ठोस नहीं पाया जा सका। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि गवाह को दिए गए सुझावों के अलावा, प्रतिपरीक्षा का कोई अन्य रूप नहीं है।

25. ऊपर उल्लिखित क्रमशः पीडब्लू 12 और पीडब्लू 14 के मौखिक साक्ष्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अपीलार्थी को बताया गया था या सूचित किया गया था कि यदि वह ऐसा

चाहता है, तो वह एसआई या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष खुद की तलाशी ले सकता है। इस प्रकार, पीडब्लू 12 और पीडब्लू 14 दोनों के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी को तीन विकल्प दिए गए थे-पहले एसआई यानी सहायक उप-निरीक्षक के समक्ष तलाशी ली जानी चाहिए, दूसरा, राजपत्रित अधिकारी के समक्ष और तीसरा, किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी को इतने शब्दों में सूचित नहीं किया गया था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेना उसका अधिकार है।

26. जहाँ तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के लागू होने के मुद्दे का संबंध है, इसके दो पहलू हैं। अगर हम यह भी मानते हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था, तो दूसरा सवाल यह होगा कि क्या धारा 50 को उस मामले में लागू किया जा सकता है।

27. हमें यह तथ्य दर्ज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था क्योंकि अपीलार्थी को ए. एस. आई. के समक्ष किए जाने वाले तलाशी के तीसरे विकल्प से वंचित नहीं किया जा सकता था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बारे में बात करती है। यदि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी को बताया जा रहा है कि क्या वह पुलिस अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेना चाहेगा तो कानूनी प्रभाव क्या होगा?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

28. राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और एक अन्य मामले में यह न्यायालय,

(2014) 5 एस. सी. सी. 345 ने अभिनिर्धारित किया कि एक पुलिस अधिकारी के लिए अभियुक्त को यह बताना अनुचित है कि एक तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है अर्थात् किसी भी स्वतंत्र पुलिस अधिकारी के समक्ष तलाशी। इस न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि अभियुक्त को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उपलब्ध अधिकार का एक संयुक्त संचार धारा 50 के उद्देश्य को विफल कर देगा। हम इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नलिखित रूप में उद्धृत करते हैं:-

“15. इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए गए थैले की उसके व्यक्ति की तलाशी लिए बिना तलाशी ली जाती है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर उसके द्वारा ले जाए गए थैले की तलाशी ली जाती है और उसके व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 लागू होगी। इस मामले में प्रतिवादी 1 परमानंद के थैले की तलाशी ली गई। थैले से अफीम बरामद की गई। उनकी व्यक्तिगत

तलाशी भी ली गई।प्रतिवादी 2 सूरजमल की व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई।इसलिए, पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित इस न्यायालय के फैसलों के आलोक में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 लागू होगी।

16. अब यह जांच करना आवश्यक है कि इस मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन किया गया है या नहीं।पुलिस गवाहों ने कहा है कि प्रत्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उन्हें निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट या पीडब्लू 5 जे. एस. नेगी, अधीक्षक के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है।उन्हें लिखित नोटिस दिया गया था।जैसा कि पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एस. सी. सी. 172 में संविधान पीठ ने कहा है, अभियुक्त व्यक्ति को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अपने अधिकार के बारे में लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक नहीं है। उसके अधिकार को मौखिक रूप से उसे सूचित किया जा सकता है।लेकिन, इस मामले में, अधिकार का कोई व्यक्तिगत संचार नहीं था।एक आम नोटिस दिया गया था जिस पर केवल प्रतिवादी 2 सूरजमल ने अपने लिए और प्रतिवादी 1 परमानंद के लिए हस्ताक्षर किए थे।उत्तरदाता 1 परमानंद ने हस्ताक्षर नहीं किए।

17. हमारी राय में, अभियुक्त को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत उपलब्ध अधिकार का एक संयुक्त संचार धारा 50 के उद्देश्य को विफल कर देगा।जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाने वाली है, उसे उक्त अधिकार का संचार एक खाली औपचारिकता नहीं है। इसका एक उद्देश्य है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकांश अपराधों के लिए कड़ी सजा 307 है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 308

और, इसलिए, निर्धारित प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।ये झूठे संलिप्तता की संभावना के खिलाफ एक आरोपी के लिए उपलब्ध न्यूनतम सुरक्षा उपाय हैं।इस अधिकार का संचार स्पष्ट, स्पष्ट और व्यक्तिगत होना चाहिए।अभियुक्त को ऐसे अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।यह अधिकार बहुत कम महत्व का होगा यदि इसका लाभकारी निकाय इसके अस्तित्व के बारे में जानकारी के अभाव में इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है।अधिकार का एक संयुक्त संचार स्पष्ट या स्पष्ट नहीं हो सकता है।यह भ्रम पैदा कर सकता है।इसके परिणामस्वरूप दाहिने हिस्से को कमजोर किया जा सकता है।इसलिए, हमारा विचार है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत, उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा परमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1977) 1 अपराध 242 (पी एंड एच) और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा धरमवीर लेखराम शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 1 अपराध 586 (बीओ 0 एम) में लिया गया समान दृष्टिकोण हमारी मंजूरी के साथ मिलता है।

18. यह दोहराया जाता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत उपलब्ध अधिकार के लिखित संचार पर, प्रतिवादी सूरजमल ने अपने लिए और प्रतिवादी 1 परमानंद के लिए हस्ताक्षर किए हैं। उत्तरदाता 1 परमानंद ने इस पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र सहमति नहीं दी। यह केवल यह माना जा सकता है कि उन्होंने प्रतिवादी 2 सूरजमल को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने और अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए, हमारी राय में, उत्तरदाताओं को अधिकार के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी 1 परमानंद के थैले की तलाशी और प्रत्यर्थी के व्यक्ति की खोज दूषित हो जाती है और परिणामस्वरूप उनकी दोषसिद्धि भी दूषित हो जाती है।

19. हम यह भी देखते हैं कि पीडब्लू 10 एस. आई. कुरैशी ने उत्तरदाताओं को सूचित किया कि उनकी तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम राजपत्रित अधिकारी या पीडब्लू 5 जे. एस. नेगी, अधीक्षक से पहले ली जा सकती है, जो छापा मारने वाले दल का हिस्सा थे। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रत्यर्थियों ने अधिकारियों को सूचित किया कि वे पीडब्लू 5 जे. एस. नेगी के समक्ष पीडब्लू 10 एस. आई. कुरैशी द्वारा तलाशी लेना चाहेंगे। यह, हमारी राय में, फिर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (1) का उल्लंघन है। यदि किसी आरोपी को आवश्यकता हो तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के पीछे का विचार उसे तलाशी लेने का मौका देना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एक स्वतंत्र अधिकारी की उपस्थिति। इसलिए, पी. डब्ल्यू. 10 एस. आई. कुरैशी के लिए यह कहना अनुचित था कि एक तीसरा विकल्प उपलब्ध है और उन्हें पी. डब्ल्यू. 5 जे. एस. नेगी, अधीक्षक, जो छापा मारने वाले दल का हिस्सा थे, के सामने खोजा जा सकता है। पीडब्लू 5 जे. एस. नेगी को स्वतंत्र अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। हम इस सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि क्या उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से व्यक्त किया था कि वे पीडब्लू 5 जे. एस. नेगी के समक्ष तलाशी लेना चाहते थे, तो खोज दूषित हो जाती या नहीं। लेकिन पीडब्लू 10 एस. आई. कुरैशी उत्तरदाताओं को तीसरा विकल्प नहीं दे सकते थे जब एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) इसके लिए प्रावधान नहीं करती है और जब ऐसा विकल्प एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के प्रावधानों को विफल कर देगा। इस आधार पर भी, हमारी राय में, पीडब्लू 10 एस. आई. कुरैशी द्वारा की गई खोज दूषित है।”

(जोर दिया गया) 29। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन पुलिस अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का तीसरा विकल्प देने के लिए किया गया था।

30. हालांकि, हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 वर्तमान मामले में बिल्कुल भी लागू होती है? हमने क्रमशः पीडब्लू 12 और पीडब्लू

14 के मौखिक साक्ष्य और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य में कुछ विसंगतियां देखी हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में इतने शब्दों में कहा है कि अपीलार्थी की स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली गई और अपीलार्थी के कंधे पर लगे थैले की भी तलाशी ली गई। लेकिन विसंगतियों के लिए, हम एस. के. के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करने पर विचार कर सकते थे। राजू (ऊपर) के साथ-साथ परमानंद (ऊपर)। हालाँकि, अभिलेख पर पुलिस अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी भी थैले के साथ की गई थी। इसलिए, हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि यह केवल वह थैला है जिसकी तलाशी ली गई थी जिससे प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी हुई।

31. इसलिए, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में आने वाले वाक्यांश "किसी भी व्यक्ति की खोज करने" का क्या अर्थ होना चाहिए। क्या "किसी व्यक्ति की तलाशी लेना" वाक्यांश का अर्थ है (ए) व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर पर वस्तुओं की खोज; (बी) तत्काल कब्जे में वस्तुओं की खोज शामिल होगी जैसे कि बैग या अन्य सामान 309

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 310

उसके द्वारा ले जाए गए या तलाशी लेने वाले व्यक्ति के भौतिक कब्जे में; (सी) बैग या सामान की तलाशी शामिल होगी जिसे व्यक्ति के कब्जे में माना जाता है, भले ही वह घर या रेलवे डिब्बे में या हवाई अड्डे पर पड़ा हो; या (डी) क्या धारा 50 के आवेदन को किसी स्थान, वाहन या घर की तलाशी के मामले में बढ़ाया जा सकता है यदि आरोपी तलाशी के समय शारीरिक रूप से मौजूद है।

32. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“धारा 50। जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला होता है, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी माँग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के साथ अलग होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है।(6) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसी धारणा के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

बयालीस घंटे के भीतर उसकी एक प्रति उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजें।”

33. आम तौर पर, यह कहा या तर्क दिया जा सकता है कि "किसी भी व्यक्ति की खोज करने" का अर्थ होगा, तलाशी लेने वाले व्यक्ति के व्यक्ति या शरीर पर वस्तुओं की खोज करना और आम तौर पर उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो तलाशी लेने वाले व्यक्ति के शरीर पर नहीं हैं। जब हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के दायरे और सही उद्देश्य पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का मुख्य उद्देश्य अभियोजन या अधिकृत अधिकारी द्वारा कुछ स्थापित करने या सबूत गढ़ने के आरोप से बचना है।

34. उपरोक्त व्याख्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (4) द्वारा कुछ हद तक स्पष्ट की गई है जो एक महिला की खोज का प्रावधान करती है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (4) में प्रावधान है कि "एक महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी"। यदि तलाशी ली जाने वाली वस्तुएँ व्यक्ति या शरीर पर नहीं हैं, तो महिला द्वारा तलाशी लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति के शरीर पर मौजूद वस्तुओं की तलाशी ली जाती है, तो ऐसी खोज केवल दूसरी महिला ही कर सकती है। यह आवश्यक है क्योंकि कानून शालीनता के प्रति सख्त सम्मान का आदेश देता है। यह प्रावधान कुछ संकेत भी देता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में आने वाले वाक्यांश "किसी भी व्यक्ति की खोज करने के लिए" की व्याख्या कैसे की जाए।

35. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में, "सीआरपीसी 1898") और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "सीआरपीसी 1973") में भी इसी तरह का प्रावधान है। सी. आर. पी. सी. 1898 की धारा 51, भाग 3 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो जिस पुलिस अधिकारी को वह गिरफ्तार करता है, वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और उस पर पाए गए आवश्यक परिधानों के अलावा सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकता है। महिला की तलाशी के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 51 (2) में प्रावधान है कि जब भी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक होगा, तो शालीनता को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी। समान सुरक्षा उपाय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 102 (3) और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए हैं। 36. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि "किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने" का मतलब केवल शरीर की तलाशी लेना या ऐसे व्यक्ति के परिधान पहनना होगा और उस स्थिति में जिस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, वह 311 की धारा 50 के तहत निर्धारित होगी।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 312

एनडीपीएस अधिनियम। इसके विपरीत, यदि किसी सार्वजनिक स्थान सहित किसी भी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी ली जानी है, तो धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि, जब किसी संदिग्ध या गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेनी होती है, तो धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया लागू हो जाती है और उसके तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 (3) का उल्लेख करके देखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति पर किसी ऐसी वस्तु को छिपाने का यथोचित संदेह है, जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति एक महिला है, तो शालीनता को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी। जिस छिपाने का संदेह है वह व्यक्ति पर या उसके व्यक्ति के बारे में है।

37. धारा 50 के प्रावधानों का संपूर्ण अर्थ इसी से निकाला गया था।

पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, (1994) 3 एस. सी. सी. 299 के मामले में न्यायालय। हम. उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 21 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों का उल्लेख किया जा सकता है जो इस पहलू से संबंधित हैं। यह निम्नानुसार है:-

"21. धारा 41 और 42 दोनों के तहत, अधिकार प्राप्त अधिकारी उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके बारे में

संदेह है कि उसने अपनी जानकारी के आधार पर या लिखित जानकारी के आधार पर अपराध किया है। यदि गिरफ्तारी की जाती है और किसी व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है धारा 50 लागू हो जाती है और व्यक्ति की तलाशी उसके तहत दिए गए तरीके से की जानी चाहिए।...

(जोर दिया गया) 38। उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, तो धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, न कि उन मामलों में जहां किसी इमारत, वाहन या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर की तलाशी ली जानी है, जहां मादक पदार्थों से भरे थैले और सामान पड़े हैं। उक्त निर्णय में इस तरह की खोज के उद्देश्य और उद्देश्य पर भी चर्चा की गई है और प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

“4. ... यह प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी नुकसान से बचने और अभियोजन अधिकारियों द्वारा रोपण या मनगढ़ंत आरोप लगाने से बचने के लिए पेश किया गया है। यह बताता है कि यदि तलाशी लेने वाले व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, तो वह अधिकारी जो खोज करने वाला है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

धारा 41 से 43 के प्रावधानों के तहत वह ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित कार्यालय या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। उठाए गए प्रश्नों में से एक यह है कि "यदि व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है तो" शब्दों का क्या अर्थ है। क्या वे तलाशी लेने वाले अधिकारी पर यह कर्तव्य डालते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को सूचित करे कि यदि वह ऐसा चाहता है तो उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उनकी उपस्थिति में तलाशी लेने के उद्देश्य से ले जाया जाएगा या यह ऐसे व्यक्ति पर है कि वह अधिकारी द्वारा सूचित किए बिना अपने दम पर ऐसा अनुरोध करे? ...”

पैराग्राफ 5 में, न्यायालय ने कहा:-

“5. ... लेकिन जब सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी सहित जांच करने वाला एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ या मादक पदार्थ होने का पता लगाता है तो दो पहलू सामने आएंगे। यदि वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उन अधिकार प्राप्त अधिकारियों में से एक है, तो उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए और उसके तहत प्रदान की गई जांच जारी रखनी चाहिए। यदि दूसरी ओर, वह सशक्त नहीं है, तो उसे स्पष्ट रूप से यह करना चाहिए कि उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, जिन्हें उसके बाद एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस चरण से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन

इस स्तर पर धारा 50 का सहारा लेने और आरोपी व्यक्ति को यह सूचित करने का सवाल उठता है कि यदि वह चाहता है तो उसे राजपत्रित कार्यालय ले जाया जाएगा और राजपत्रित कार्यालय ले जाया जाएगा क्योंकि तब तक तलाशी समाप्त हो चुकी होगी। जैसा कि धारा 50 में निर्धारित किया गया है, उसके तहत जिन कदमों पर विचार किया गया है, अर्थात् उन्हें सूचित करना और राजपत्रित कार्यालय में ले जाना, वे तलाशी से पहले किए जाने चाहिए। जब सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत जांच के सामान्य क्रम में तलाशी पहले ही समाप्त हो चुकी होगी तो धारा 50 का पालन करने का सवाल ही नहीं उठेगा।”

39. इसके बाद न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 और 165 के प्रावधानों पर विचार किया जो परिसर और व्यक्ति की तलाशी से संबंधित हैं। धारा 100 (1) एक बंद स्थान की तलाशी से संबंधित है और धारा 100 (3) एक व्यक्ति की तलाशी से संबंधित है, जबकि धारा 165 किसी भी स्थान से पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि यदि 313

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 314

धारा 100 या 165 का गैर-अनुपालन है जो स्वयं अभियोजन मामले को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। इस तरह के गैर-अनुपालन का प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य और अन्य सामग्री की सराहना पर पड़ेगा। इस तरह की तलाशी लेने में यदि उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी पदार्थ का पता चलता है, तो उस स्तर पर धारा 50 सहित उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का सवाल ही नहीं उठेगा। जब ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी के दौरान जब्त मादक पदार्थ एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है, तो उस चरण से एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे के कदम उठाए जाने होंगे।

40. इसके बाद, न्यायालय ने विचार किया कि क्या तलाशी लेते समय अधिकार प्राप्त या अधिकृत अधिकारी द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफलता अभियोजन मामले को प्रभावित करती है, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“18. ... यह स्पष्ट है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने माना कि इस प्रकार प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित सुरक्षा उपायों का प्रावधान करना उचित नहीं है ताकि निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए या मनगढ़ंत आरोपों को कम से कम किया जा सके।”

इसके बाद न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“20. ...जब सामान्य रूप से अभिरक्षा में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दिए गए अधिकार का महत्व होता है, तो संदर्भ में धारा 50 के तहत प्रदत्त सुरक्षा का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। इसलिए यह अधिकारी की ओर से एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में लिया जाना चाहिए जो उस व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए खोज करने का इरादा रखता है कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी। अतः धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं।”

41. जब हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हैं, तो उसमें पैरा 25 (1) में एक व्यापक सिद्धांत के रूप में जो अभिनिर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार है:-

“25. ऊपर विचार किए गए प्रश्न अक्सर निचली अदालतों के समक्ष उठते हैं। इसलिए हम अपने निष्कर्षों को निर्धारित करना आवश्यक समझते हैं जो इस प्रकार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी पूर्व सूचना के बिना तलाशी लेता है या किसी व्यक्ति को सामान्य जांच के दौरान गिरफ्तार करता है, जैसा कि सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है और जब ऐसी तलाशी उस स्तर पर पूरी हो जाती है तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 आकर्षित नहीं होगी और उसके तहत आवश्यकताओं का पालन करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। यदि इस तरह की तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ की बरामदगी की संभावना है, तो पुलिस अधिकारी, जो अधिकार प्राप्त नहीं है, को अधिकार प्राप्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए, जिसे इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यदि वह एक अधिकार प्राप्त अधिकारी भी है, तो उस स्तर से उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार जांच करनी चाहिए।

42. उक्त सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति को प्रस्तुत करता है जहां एक पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए अपराध या संदिग्ध अपराध की जांच के सामान्य पाठ्यक्रम में है और ऐसी जांच के दौरान जब एक तलाशी पूरी हो जाती है और उस प्रक्रिया में एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के कब्जे पर ठोकर लगती है, तो धारा 50 को लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उस सिद्धांत की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किसी भी मादक दवा और मादक पदार्थ के कब्जे के बारे में किसी भी पूर्व जानकारी के बिना, एक पुलिस अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान तलाशी ली होगी और इसलिए, यह कहना लगभग असंभव होगा कि ऐसी स्थिति में भी, धारा 50 का आवेदन आकर्षित होगा।

बलबीर सिंह (उपरोक्त) में शामिल तथ्यों से संकेत मिलता है कि पुलिस अधिकारी ने उचित संदेह पर गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती को अंजाम दिया कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था और किसी भी पूर्व सूचना के आधार पर नहीं कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई दंडनीय अपराध किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि उक्त गिरफ्तारी के समय एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए, तलाशी और जब्ती उत्पन्न नहीं हुई थी क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती काफी हद तक सीआरपीसी 1973 के प्रावधानों के अनुसार थी। इसलिए यह तर्क दिया गया कि इस तरह की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। उक्त पृष्ठभूमि में विवाद की जांच करते हुए, पैरा 25,315 में सिद्धांत 1

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 316

ऊपर उल्लिखित प्रस्तुत किया गया। (देखिए: गुरजंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 13 एससीसी 603)।

43. यह सब इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले से शुरू हुआ।

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एस. सी. सी. 172 के मामले में। द.

राय के विभाजन को देखते हुए संविधान पीठ का गठन करना पड़ा

पंजाब राज्य बनाम (1994) 3 एस. सी. सी. 299, अली मुस्तफ ए अब्दुल रहमान मूसा बनाम केरल राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 569 और सैयद मोहम्मद में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया। सैयद उमर सैयद और

ओआरएस. वी. गुजरात राज्य ने (1995) 3 एस. सी. सी. 610 में रिपोर्ट किया। 44. बलदेव सिंह (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने निर्णय दिया कि धारा 50 केवल उन मामलों में लागू होगी जहां किसी व्यक्ति की तलाशी एनडीपीएस अधिनियम के तहत की जाती है जैसा कि धारा 42 के तहत विचार किया गया है। जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जाती है, वहां धारा 50 का कोई उपयोग नहीं होगा। हालांकि, जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक को छोड़कर किसी भी अवैध या संदिग्ध अवैध संबंध के संबंध में सी. आर. पी. सी., 1973 के तहत की जा रही सामान्य तलाशी के दौरान, किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी होती है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान ऐसे मामलों में भी तुरंत लागू होंगे। की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“12. इसके सादे पाठ पर, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी जो किसी भी परिसर आदि की तलाशी से अलग है। हालांकि, यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 द्वारा विचार किए गए किसी भी पूर्व सूचना के बिना, किसी संदिग्ध

मामले की जांच के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या गिरफ्तारी का कारण बनता है और उस तलाशी के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएं आकर्षित नहीं होती हैं।

13. धारा 51 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान, जहां तक वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे। इस प्रकार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 ने धारा 41,42,43,49 और 50 में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी आदि के संबंध में व्यापक सिद्धांतों को शामिल करने के बाद धारा 51 में निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। अभिव्यक्ति "जहाँ तक वे के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 51 में आने वाला यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी पर भी लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे "अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत" हैं। इस प्रकार, तलाशी और जब्ती करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का भी पालन करना आवश्यक है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (4) में कहा गया है कि एक महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 52 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 51 (2) में महिलाओं की तलाशी से संबंधित प्रावधान के समान है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 51 (2) में कहा गया है कि जब भी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक होगा, तो शालीनता को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी। इसलिए, सशक्त अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 51 (2) के साथ पठित एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (4) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से कार्य करना चाहिए, जब भी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक पाया जाए। घटनास्थल पर जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ में हमेशा यह खुलासा किया जाना चाहिए कि तलाशी उपरोक्त तरीके से की गई थी और संबंधित महिला की व्यक्तिगत तलाशी लेने वाली महिला अधिकारी के नाम का भी खुलासा किया जाना चाहिए। संबंधित महिला के व्यक्तिगत खोज ज्ञापन को उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन का संकेत देना चाहिए। ऐसा करने में विफलता न केवल अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है, बल्कि एक महिला के

शालीनता और उचित गरिमा के साथ व्यवहार करने के मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में भी पाई जा सकती है।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए भी लागू हैं। हालांकि, जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी सहित जांच करने वाला एक अधिकार प्राप्त अधिकारी, किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ या मादक पदार्थ होने का पता चलता है, तो उसे उस चरण से एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए और उसके तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार जांच जारी रखनी चाहिए। यदि जाँच अधिकारी अधिकार प्राप्त 317 नहीं है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 318

अधिकारी से तब यह अपेक्षा की जाती है कि वह एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों को सूचित करे, जिन्हें उसके बाद एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस चरण से आगे बढ़ना चाहिए। कई फैसलों का हवाला देने के बाद, पीठ ने कहा कि तलाशी और जब्ती के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और विशेष रूप से धारा 100, 102, 103 और 165 का पालन करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं करती है। यदि इस तरह का उल्लंघन होता है, तो अदालतों को यह देखना होगा कि क्या आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। साक्ष्य और अन्य प्रासंगिक कारकों की सराहना करते समय, अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का उल्लंघन हुआ था और इसे ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए।”

45. इस न्यायालय ने बलदेव सिंह (उपरोक्त) मामले में आगे कहा कि धारा 50 में निर्धारित शर्तें अधिकार प्राप्त अधिकारी पर लगाई गई एक बाध्यता है और किसी व्यक्ति की कोई भी तलाशी लेने से पहले इसका विधिवत पालन किया जाना चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“24. ... इस प्रकार, अधिनियम के लिए न्यायिक घोषणाओं की सर्वसम्मति है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, पूर्व सूचना के आधार पर, यह संदिग्ध को सूचित करना अधिकार प्राप्त अधिकारी का दायित्व और उसका कर्तव्य है कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने की आवश्यकता है और संदिग्ध को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने में विफलता, खोज को अवैध बना देगी क्योंकि संदिग्ध धारा 50 में अंतर्निहित सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा। इसी तरह, यदि संबंधित व्यक्ति, अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा या अन्यथा सूचित किए जाने पर, यह चाहता है कि उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए, तो अधिकार प्राप्त अधिकारी ऐसा

करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने में उसकी विफलता भी तलाशी को अवैध बना देगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को खराब कर देगी।”

(जोर दिया गया) 46। इस न्यायालय ने बलदेव सिंह (उपरोक्त) मामले में धारा 50 के तहत उत्कीर्ण सुरक्षा उपायों के पीछे के उद्देश्य और राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी लेने के संदिग्ध के अधिकार की अदालतों द्वारा उत्साहपूर्वक रक्षा क्यों की जानी चाहिए, इसका कारण भी समझाया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“25. राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेना, यदि संदिग्ध को इसकी आवश्यकता है, एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है जो विधायिका ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अवैध वस्तुओं के कब्जे के गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यक्ति को दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में शामिल किया गया है। प्रावधान के पीछे का तर्क अन्यथा भी स्पष्ट है। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी से तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को अधिक प्रामाणिकता और साख मिलेगी। यह वास्तव में अभियोजन मामले को भी मजबूत करेगा। इस प्रकार, अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए कोई औचित्य नहीं है, जो व्यक्ति की खोज करने के लिए जाता है, पूर्व सूचना पर, खोज को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी खोज करने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित नहीं करता है, ताकि वह उस अधिकार का लाभ उठा सके। हालाँकि, लिखित रूप में अपने अधिकार के बारे में पता लगाने के लिए व्यक्ति को जानकारी देना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है यदि ऐसी जानकारी संबंधित व्यक्ति को मौखिक रूप से और गिरफ्तारी और तलाशी के गवाह कुछ स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में यथासंभव दी जाती है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करना चाहिए कि अधिकार प्राप्त अधिकारी ने वांछित तलाशी के समय मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी थी। अदालतों को धारा 50 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के उचित अनुपालन के बारे में मामले के मुकदमे में संतुष्ट होना चाहिए। अधिनियम की धारा 54 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कोई धारणा नहीं लगाई जा सकती है, जब तक कि अभियोजन पक्ष अदालत की संतुष्टि के लिए यह स्थापित नहीं करता है कि धारा 50 की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया था।

26. राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के लिए सुरक्षा या संरक्षण को धारा 50 में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों की तलाशी केवल एक अच्छे कारण के साथ की जा रही है और इस तरह की खोज से प्राप्त साक्ष्य की सत्यता को बनाए रखने के लिए भी। हम पहले ही देख चुके हैं कि केवल अवैध मादक पदार्थ

और मादक पदार्थ रखने के लिए अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत खोज, विशेष रूप से एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, कब्जे के साक्ष्य प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है और इसलिए, यह आवश्यक है कि धारा 50 319 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 320

अधिनियम का ईमानदारी से पालन किया जाता है। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संदिग्ध को तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने का कर्तव्य संबंधित व्यक्ति को धारा 50 के तहत उस अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक आवश्यक क्रम है क्योंकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद यह तर्क देने की अनुमति नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अस्थायी रूप से भी कम किया जा सकता है, एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" नहीं है और जब एक कानून स्वयं एक "न्यायपूर्ण" प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए। धारा 50 के तहत तलाशी लेना, संदिग्ध को यह सूचित किए बिना कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है, "उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया" का उल्लंघन होगा और धारा 50 में निहित सुरक्षा को भ्रामक, अनुचित और अर्थहीन माना जाएगा। कानून के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कानून के व्यवस्थित और अनुचित उल्लंघन पर आधारित प्रक्रिया को "निष्पक्ष", न्यायसंगत या उचित प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि धारा 50 को पढ़ने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से एक कर्तव्य का अस्तित्व, संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करना, यदि वह ऐसा चाहता है, तो कानून की अज्ञानता पर कोई प्रीमियम लगाएगा। तर्क कानून की अज्ञानता और "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया" के अधिकार की अज्ञानता के बीच एक स्पष्ट अंतर की दृष्टि खो देता है।

X

X

X

X

28. यह न्यायालय उस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम संचालित होता है और विशेष रूप से नशीली दवाओं के लिए जांच के अधीन व्यक्तियों के बीच व्यापक निरक्षरता के कारक को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सजा जितनी गंभीर होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी कि कानून में दिए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाए। हम

इस बात का कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं कि अधिकार प्राप्त अधिकारी को संदिग्ध को वास्तविक अवसर देने से क्यों बचना चाहिए, यह सूचित करके कि उसे यह अधिकार है कि यदि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता महसूस करता है, तो उसकी तलाशी केवल उसी तरीके से ली जाएगी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि धारा 50 में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन का उद्देश्य दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है-किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों से बचाना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

और तुच्छ शुल्क के साथ-साथ अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को श्रेय देने के लिए भी। यह तर्क कि नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, धारा 50 में निहित सभी सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर जोर देने के परिणामस्वरूप अधिक बरी हो सकते हैं, हमें आकर्षित नहीं करता है। यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है और उस आधार पर एक आदेश या बरी किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को अपनी खामियों के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण है लेकिन इसे प्राप्त करने के साधन बोर्ड से ऊपर रहने चाहिए। उपचार स्वयं रोग से भी बदतर नहीं हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की वैधता एक संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी द्वारा की गई अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है और इसका प्रभाव न्याय के प्रशासन से असहनीय रूप से समझौता करने का हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।”

(जोर दिया गया) 47। इस बारे में कि धारा 50 का उल्लंघन करते हुए की गई वसूली के परिणाम क्या होंगे, बलदेव सिंह (उपरोक्त) में यह कहा गया था कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को साक्ष्य में अस्वीकार्य बनाने का प्रभाव होगा और इसलिए, आरोपी को किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ के गैरकानूनी कब्जे में पाए जाने के लिए दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह अभियोजन पक्ष को किसी भी अन्य स्वतंत्र कार्यवाही में किसी अन्य दोषपूर्ण लेख की वसूली पर भरोसा करने से नहीं रोकेगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह साबित करने का भार कि धारा 50 की शर्तों का पालन किया गया था, स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर निर्भर करेगा। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“32. तथापि, यह प्रश्न कि क्या धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका हैं और यदि अनिवार्य हैं, तो किस हद तक और इसके गैर-अनुपालन के परिणाम उस संदर्भ में सख्ती से नहीं उठते हैं जिसमें सुरक्षा को उस व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में शामिल किया गया है जिसकी तलाशी ली जानी है। इसलिए, इस बारे में कोई राय व्यक्त किए बिना कि धारा 50 के प्रावधान

अनिवार्य हैं या नहीं, लेकिन उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान निहित रूप से इसे अनिवार्य और अनिवार्य बनाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी (अधिकार प्राप्त अधिकारी) का कर्तव्य डालते हैं कि 321

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 322

संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) की तलाशी धारा 50 द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित किया जाता है कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी और यदि वह ऐसा करता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता आरोपी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी और अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी होगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित करेगी, जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है, जो अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तलाशी के दौरान बरामद की गई है। चूक मुकदमे को इस तरह से दूषित नहीं कर सकती है, लेकिन अंतर्निहित पूर्वाग्रह के कारण जो एक आरोपी को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करने की चूक के कारण होगा, यह उसकी दोषसिद्धि और सजा को अस्थिर बना देगा। धारा में किसी अभियुक्त को यह सूचित करने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी व्यक्तिगत तलाशी लेने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहता है, तो यह पवित्र और अक्षम्य है-अभियोजन पक्ष द्वारा अपने स्वयं के जोखिम के अलावा इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

33. हालाँकि, यह प्रश्न कि धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं, अदालत द्वारा मुकदमे में दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए था और उस मुद्दे पर निर्णय, किसी न किसी तरह से, दोषसिद्धि या बरी करने के आदेश को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से उस धारा में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे को कम करने की सलाह नहीं दी जाएगी।

x

x

x

x

45. ... अभियोजन को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों पर आपराधिक अपराध का आरोप है, उनके खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई करना हमारे लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। अनुचित मुकदमे के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि न्याय की हमारी अवधारणा के विपरीत है। निष्पक्ष सुनवाई का संचालन समाज के साथ-साथ एक अभियुक्त के लिए भी फायदेमंद है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई के पहलू पर विचार करते समय, प्राप्त साक्ष्य की प्रकृति और उल्लंघन की गई सुरक्षा की प्रकृति दोनों प्रासंगिक कारक हैं। अदालतें नहीं कर सकतीं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एक अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य को स्वीकार करने की अनुमति दें, जहां अदालत को संतुष्ट किया जाता है कि साक्ष्य एक ऐसे आचरण से प्राप्त किया गया था जिसका अभियोजन पक्ष को लाभ नहीं उठाना चाहिए, विशेष रूप से जब उस आचरण ने अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया था। यदि अभिलेख पर सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि धारा 50 का उल्लंघन करते हुए की गई खोज में एकत्र किए गए साक्ष्य की स्वीकृति मुकदमे को अनुचित बना देगी तो उस साक्ष्य को बाहर रखा जाना चाहिए। आर. वी. मेंकोलिन्स, (1987) 1 एस. सी. आर. 265 (कनाडा), कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने लैमर, जे. (उनके लॉर्डशिप, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए कहा कि एक अभियुक्त के चार्टर अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एकत्र किए गए साक्ष्य का उपयोग एक मुकदमे को अनुचित और साक्ष्य को अस्वीकार्य बना देगा।...

x

x

x

x

55. इसलिए, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के व्यक्ति से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग स्वयं अभियुक्त पर अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ रखने के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उस तलाशी के दौरान बरामद की गई किसी भी अन्य सामग्री/वस्तु पर अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अन्य/स्वतंत्र कार्यवाही में भरोसा किया जा सकता है और इसकी स्वीकार्यता उस सामग्री की प्रासंगिकता और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।”

(जोर दिया गया) 48। इस न्यायालय ने अंततः अपने निर्णयों का सारांश निम्नलिखित दस निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत किया:-

“57. उपरोक्त तर्क और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

(1) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्य करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित करे, जिसे तलाशी लेने के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा रहा है। हालाँकि, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से लिखित में नहीं हो सकती है;

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 324

(2) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक आरोपी के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगी;

(3) कि किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा, पूर्व सूचना पर, व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में सूचित किए बिना कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के लिए ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता, मुकदमे को दूषित नहीं कर सकती है, लेकिन अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी को विकृत कर देगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगी, जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है, जो अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसके व्यक्ति से बरामद की गई है।

(4) वास्तव में समाज को अपराधियों से बचाने की आवश्यकता है। यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है तो सुरक्षा में सामाजिक इरादा पर्याप्त होगा क्योंकि उनके खिलाफ सबूत को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह मौजूद नहीं है। इसलिए इसका उत्तर यह है कि जांच एजेंसी को कानून द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता को उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को गंभीरता से आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जांच प्राधिकरण की ओर से लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके। हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसे प्राप्त करने के साधन तय सीमा से ऊपर रहने चाहिए। उपचार स्वयं रोग से भी बदतर नहीं हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की वैधता संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी द्वारा की गई अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है और इसका प्रभाव न्याय के प्रशासन से अनुचित रूप से समझौता करने का हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। एक

अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अनुचित मुकदमे के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि न्याय की हमारी अवधारणा के विपरीत है। मुकदमे में धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में एकत्र किए गए साक्ष्य का उपयोग, मुकदमे को अनुचित बना देगा। (5) यह कि धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, न्यायालय द्वारा मुकदमे में दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना होगा। उस मुद्दे पर किसी न किसी तरह से खोज करना, दोषसिद्धि के आदेश को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दोषमुक्त। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे को छोटा करने की अनुमति नहीं होगी।

(6) कि जिस संदर्भ में तलाशी लेने के इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में संरक्षण को शामिल किया गया है, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका हैं, लेकिन यह मानते हैं कि संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार के बारे में सूचित करने में विफलता, निषिद्ध संदिग्ध की वसूली और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून में खराब और अस्थिर बना सकती है।

(7) कि अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के व्यक्ति से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग अभियुक्त पर अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ रखने के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि उस तलाशी के दौरान बरामद की गई किसी भी अन्य सामग्री पर अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कार्यवाहियों में किसी अभियुक्त के खिलाफ भरोसा किया जा सकता है, भले ही अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी हुई हो।

(8) अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान केवल तभी उठाया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर सके कि धारा 50 के अधिदेश के अनुसार की गई तलाशी में आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था। एक अवैध तलाशी अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने का अधिकार नहीं दे सकती है। (9) कि पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (जांच), (1974) 1 एस. सी. सी. 345 के निर्णय में यह नहीं समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान जब्त की गई अवैध वस्तु, पूर्व सूचना पर, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, स्वयं उस व्यक्ति पर अवैध वस्तु के गैरकानूनी कब्जे के सबूत के रूप में उपयोग की जा सकती है जिससे अवैध तलाशी के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है।

(10) कि अली मुस्तफ ए के मामले में निर्णय पूरन मल के मामले में निर्णय और एच. पी. बनाम राज्य में की गई व्यापक टिप्पणियों की सही व्याख्या और अंतर करता है। पिरथी चंद, (1996) 2 एस. सी. सी. 37, और पंजाब राज्य बनाम सुखबीर सिंह, (1996) 1 एस. सी. सी. 288, मामले 325 हैं।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 326

पूरन मल के मामले में निर्धारित कानून की सही व्याख्या के अनुरूप नहीं।”

(जोर दिया गया) 49। इस प्रकार, संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यद्यपि धारा 50 का गैर-अनुपालन मुकदमे को दूषित नहीं कर सकता है, फिर भी प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली को संदिग्ध बना देगा और अभियुक्त की दोषसिद्धि को दूषित कर सकता है। अदालत द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान "एक आरोपी के व्यक्ति" से जब्त की गई अवैध वस्तुओं पर जोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, बलदेव सिंह (उपरोक्त) के अनुसार, धारा 50 के प्रावधान केवल अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होंगे, न कि किसी सामान जैसे बैग, वस्तु या कंटेनर आदि के मामले में जो वह ले जा रहा हो।

धारा 50 का पालन कब कहा जा सकता है?

50. इस न्यायालय ने कई मामलों में इसी पहलू पर विचार किया है और धारा 50 के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

अनुपालन किया। इस न्यायालय ने मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले में रिपोर्ट दी।

(1996) 11 एस. सी. सी. 391 में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 में केवल अभियुक्त को यह कहने का विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। उसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“2. ... इस प्रावधान के तहत आरोपी को केवल यह कहने का विकल्प दिया जाना चाहिए कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहता है और आरोपी द्वारा उस विकल्प का उपयोग करने पर, यह संबंधित अधिकारी के लिए है कि वह निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ले ताकि उस अभ्यास को पूरा करने में अनुचित देरी से बचा जा सके। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को केवल यह चुनने का विकल्प दिया गया है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम

मजिस्ट्रेट की पसंद का उपयोग तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि आरोपी द्वारा।”

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

51. (2001) 1 एस. सी. सी. 707 में दर्ज जोसेफ फर्नांडीज बनाम गोवा राज्य मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल धारा 50 का पर्याप्त अनुपालन आवश्यक है, और संदिग्ध को सूचित करना कि यदि वह चाहे तो "अधिकार" शब्द के उपयोग के बिना राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली जा सकती है, धारा 50 का उल्लंघन नहीं होगा। उसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“2. विद्वान वकील ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि तलाशी लेने वाले अधिकारी पीडब्लू 8 द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का सख्ती से पालन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार तलाशी अधिकारी को तलाशी के अधीन व्यक्ति को यह बताना चाहिए था कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है। इस मामले में पीडब्लू 8 ने बयान दिया है कि उसने अपीलार्थी से कहा कि अगर वह चाहे तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली जा सकती है, जिसके लिए अपीलार्थी ने अनुकूल जवाब नहीं दिया था। हमारे अनुसार उक्त सूचना इस जानकारी के बारे में एक संचार है कि अपीलार्थी को इस तरह तलाशी लेने का अधिकार है। यह याद रखना चाहिए कि तलाशी अधिकारी के दिमाग में तब अधिनियम की केवल धारा 50 थी, जो संविधान पीठ द्वारा उस पर रखी गई व्याख्या से अप्रभावित थी। फिर भी तलाशी अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि "यदि आप चाहें तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आपकी तलाशी ली जा सकती है।" हमारे अनुसार यह धारा 50 की आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन में है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 50 में निहित अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

52. प्रभा शंकर दुबे बनाम एम. पी. राज्य में रिपोर्ट (2004) 2

एस. सी. सी. 56, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के उचित अनुपालन के उद्देश्य से कोई विशिष्ट शब्द या प्रपत्र नहीं है जिसमें संचार किया जाना है और "अधिकार" शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तलाशी लेने वाले व्यक्ति को केवल इस बात से अवगत कराने की आवश्यकता है कि उसके पास राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी आयोजित करने का विकल्प है। इसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“11. संबंधित अधिकारी को यह बताने की आवश्यकता है कि आरोपी के पास क्या विकल्प है। अभियुक्त (संदिग्ध) को इस तरह से बताया जाना चाहिए कि वह इस बात से अवगत हो जाए कि पसंद उसकी है न कि संबंधित अधिकारी की, भले ही कोई विशिष्ट सी फॉर्म न हो। 327 शब्द का उपयोग

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 328

“बलदेव सिंह मामले के निर्णय में प्रासंगिक स्थानों पर अधिकार इस बात पर प्रभावी रूप से जोर देता प्रतीत होता है कि यह अधिकारी की कृपा से नहीं है, बल्कि उस स्तर पर "संदिग्ध" को इस तरह का विकल्प दिया जाना चाहिए और अपरिहार्य परिणाम जो इसका उल्लंघन करके आने चाहिए।”

53. हालाँकि, विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य मामले में **(2011) 1 एस. सी. सी. 609** में रिपोर्ट की गई इस अदालत की एक न्यायाधीश पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया।

प्रभा शंकर दुबे (ऊपर) और जोसेफ फर्नांडीस (ऊपर) में निर्णय

और "पर्याप्त अनुपालन" की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि धारा 50 के तहत दायित्व अनिवार्य है और इसका पालन करने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और दोषसिद्धि को दूषित कर देगी, विशेष रूप से यदि दोषसिद्धि का आधार तलाशी के दौरान अभियुक्त से अवैध वस्तु की बरामदगी है। तलाशी लेने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पुलिस की पसंद है, लेकिन उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“29. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जिस उद्देश्य के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अधिकार, सुरक्षा के रूप में, संदिग्ध को प्रदान किया गया है, अर्थात् शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचने के लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार से अवगत कराए। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी के दायित्व का संबंध है, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। प्रावधान का पालन करने में विफलता अवैध वस्तु की

बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और दोषसिद्धि को दूषित कर देगी यदि ऐसी तलाशी के दौरान केवल आरोपी व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद, संदिग्ध उक्त प्रावधान के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी।

X

X

X

X

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

31. हमारी राय है कि जोसेफ फर्नांडीज और प्रभा शंकर दुबे में उक्त धारा के अधिदेश में प्रस्तुत और पढ़े गए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता के साथ "पर्याप्त अनुपालन" की अवधारणा न तो धारा 50 की उप-धारा (1) की भाषा से उत्पन्न होती है और न ही यह बलदेव सिंह मामले में निर्धारित उक्ति के अनुरूप है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और धारा 50 की आवश्यकता को पूरा किया गया है, परीक्षण का विषय है। इस संबंध में कोई पूर्ण सूत्र निर्धारित करना न तो संभव होगा और न ही संभव होगा। 32. हम यह भी महसूस करते हैं कि यद्यपि धारा 50 अधिकार प्राप्त अधिकारी को ऐसे व्यक्ति (संदिग्ध) को या तो निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का विकल्प देती है, लेकिन पूरी कार्यवाही को प्रामाणिकता, पारदर्शिता और साख प्रदान करने के लिए, पहली बार में, संदिग्ध को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसे किसी भी अन्य अधिकारी की तुलना में आम आदमी का अधिक विश्वास प्राप्त हो। यह न केवल तलाशी की कार्यवाही में वैधता जोड़ेगा, बल्कि यह वास्तव में अभियोजन को भी मजबूत कर सकता है।”

(जोर दिया गया) 54। परमानंद (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने का अधिकार प्रदान करती है, और इस प्रकार संदिग्ध को अपने अधिकार के बारे में सूचित करते समय, केवल उपरोक्त दो विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं। धारा 50 का उल्लंघन कहा जा सकता है जहां तीसरा विकल्प भी दिया जाता है, चाहे वह पुलिस अधीक्षक द्वारा या स्वयं पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का हो।

55. यद्यपि एक पुलिस अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी होता है, फिर भी परमानंद (उपर्युक्त) में इस अदालत ने तीसरे विकल्प को कानून की दृष्टि से गलत ठहराने का कारण यह है कि पहले,

उस मामले में पुलिस अधीक्षक छापा मारने वाले पक्ष का हिस्सा था और इस तरह वह एक स्वतंत्र गवाह नहीं था और दूसरा, जैसा कि चर्चा की गई है, धारा 50 केवल दो विकल्पों का प्रावधान करती है, या तो मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी।

56. इस प्रकार, धारा 50 के तहत तलाशी लेने के इच्छुक व्यक्ति को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है। संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उसे केवल दो विकल्प दिए जाने चाहिए जो धारा के तहत प्रदान किए गए हैं।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

329

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 330

57. परमानंद (ऊपर) में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि धारा 50 के तहत अधिकार का एक संयुक्त संचार कानून में बुरा होगा। धारा 50 के तहत अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है जहां कई व्यक्तियों के मामले में तलाशी लेने का इरादा है, केवल एक संयुक्त संचार दिया गया है या जहां उनमें से एक द्वारा दूसरे की ओर से अधिकार का प्रयोग या अस्वीकार किया गया है। जबकि, अधिकार के लिखित संचार की आवश्यकता नहीं है, अधिकार को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में सूचित किया जाना चाहिए, जिसकी खोज करने का इरादा है, और कोई भी व्यक्ति दूसरे के कहने पर इस अधिकार को माफ या प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार, कई व्यक्तियों के मामले में, उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इसका प्रयोग या छूट देनी चाहिए।

58. हमने (2018) 18 एस. सी. सी. 380 में रिपोर्ट किए गए आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में इस अदालत के फैसले पर भी गौर किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां आरोपी धारा 50 के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित होने के बाद भी उसे अस्वीकार करने का विकल्प चुनता है, पुलिस द्वारा उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जानी चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

“4. ... अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर, उसे पुलिस कर्मियों द्वारा सूचित किया गया कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है, जिस पर अभियुक्त ने जवाब दिया कि उसे छापेमारी करने वाले पुलिस दल में विश्वास है और उसने उनके द्वारा तलाशी लेने के लिए सहमति दी। 5. तदनुसार छापा मारने वाले पुलिस दल ने छापा मारने वाले पुलिस दल द्वारा तलाशी लेने के लिए लिखित रूप में उनकी सहमति प्राप्त की। छापा मारने वाले पुलिस दल ने फिर आरोपी की तलाशी ली जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से लगभग ढाई किलोग्राम वजन का "चरस" जब्त किया गया।

X

X

X

X

24. हम नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारी राय में, कथित निषिद्ध "चरस" के अपीलार्थी से की गई खोज और वसूली विजयसिंह चंदुभा जडेजा में इस न्यायालय द्वारा धारित धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। हम निम्नलिखित कारणों से यह कहते हैं:

24.1. सबसे पहले, यह मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाला एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

24.2. दूसरा, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त प्रथम कारण के कारण, किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अपीलार्थी से निषिद्ध "चरस" की खोज और बरामदगी नहीं की गई थी।

24.3. तीसरा, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि छापा मारने वाले दल का कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसने उससे प्रतिबंधित "चरस" बरामद किया था, राजपत्रित अधिकारी नहीं था और न ही वे हो सकते थे और इसलिए, उन्हें मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अलावा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदान किए गए निषिद्ध "चरस" के अपीलार्थी से तलाशी और वसूली करने का अधिकार नहीं था।

24.4. चौथा, संदिग्ध के शरीर से प्रतिबंधित वस्तुओं की खोज और बरामदगी करने के लिए, खोज और बरामदगी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि तलाशी और वसूली अपीलार्थी से मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। 25. हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने छापा मारने वाले पुलिस दल के विभिन्न पुलिस अधिकारियों (पीडब्लू 1 से पीडब्लू 5) से पूछताछ की, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि तलाशी/बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी।

26. उपर्युक्त कारणों से, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि अपीलार्थी से की गई प्रतिबंधित (चरस) की तलाशी और बरामदगी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार थी। चूँकि एन. डी. पी.

एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का गैर-अनुपालन अभियोजन मामले के लिए घातक है और इस मामले में, हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष कानून में आवश्यक अनुपालन को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी को अपने बरी होने की मांग करने के लिए अपने लाभ का दावा करने का अधिकार है।”

59. हालाँकि, हमारी राय में, आरिफ खान (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ बलदेव सिंह (ऊपर) के संविधान पीठ के फैसले के साथ सीधे मेल खाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरिफ खान (उपरोक्त) के निर्णय को प्रस्तुत करते समय विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

धारा 50 में उपयोग किए गए शब्द "यदि व्यक्ति की तलाशी ली जानी है तो इसकी आवश्यकता है"।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

331

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 332

60. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 केवल पुलिस अधिकारी पर एक दायित्व निर्धारित करती है कि वह संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करे। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए या नहीं, यह अंततः धारा 50 के तहत दिए गए अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि संदिग्ध इस अधिकार को अस्वीकार कर देता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी तलाशी लेने का कोई और दायित्व नहीं है, और ऐसी स्थिति में अधिकार प्राप्त पुलिस अधिकारी स्वयं उस व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। अन्यथा धारा 50 को पढ़ने से संदिग्ध को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने का उद्देश्य ही एक अनावश्यक अभ्यास बन जाएगा। हमारा विचार है कि आरिफ खान (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है कि तलाशी के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के बावजूद, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार से विधिवत अवगत होने के बाद, इस अधिकार को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से माफ कर दिया गया है; यह अभी भी अनिवार्य है कि उसकी तलाशी केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाए।

61. ऊपर उल्लिखित आरिफ खान (उपर्युक्त) के निकाले गए अनुच्छेदों को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि यह न्यायालय विजयसिंह चंदुभा जडेजा (उपर्युक्त) में संविधान पीठ के निर्णय के अनुपात का पालन करते हुए यह अभिनिर्धारित करता है कि इसने इस संबंध में कानून की स्थिति को इस आशय से तय कर लिया है कि, जबकि अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से व्यक्ति को केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत कराना अनिवार्य है, और इसके लिए एक साथ सख्त अनुपालन की आवश्यकता है।

यह दोहराने के लिए आगे बढ़े कि विजयसिंह चंदुभा जडेजा (ऊपर) में "यह है

फैसला सुनाया कि संदिग्ध व्यक्ति एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं।

62. मादक पदार्थ या मादक पदार्थ रखने के संदेह वाले व्यक्ति की तलाशी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, यदि उस व्यक्ति की तलाशी लेने का प्रस्ताव किया गया है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकार के बारे में अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के बाद, अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का चुनाव करके इस तरह के अधिकार को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया जाता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) में उपयोग किए गए "यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है" शब्दों को अनुचित माना जाएगा, यदि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) के प्रारंभिक वाक्य में उल्लिखित "ऐसी मांग" को स्पष्ट रूप से माफ करने के बावजूद, तलाशी के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, तलाशी लेने वाले व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तावित तलाशी के संचालन के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से ले जाने की आवश्यकता होती है, केवल तभी जब उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित किया जाता है और तब नहीं जब वह स्वेच्छा से तलाशी लेने के अपने अधिकार को माफ कर देता है, और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है।

63. हालाँकि, हम इस मुद्दे पर सभी अटकलों और बहस को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं कि संदिग्ध को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अधिकार से अवगत कराया जा रहा है। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में भी जहां संदिग्ध अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का चुनाव करके इस तरह के अधिकार को माफ कर देता है, संदिग्ध की ओर से इस तरह की छूट को अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, भले ही संदिग्ध कहता है कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी नहीं लेना चाहेगा और यदि उसकी तलाशी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा की जाती है, तो वह निश्चित नहीं होगा, मामला केवल संदिग्ध के मौखिक बयान पर आधारित नहीं होना चाहिए। संदिग्ध को अधिकार प्राप्त अधिकारी के साथ-साथ दस्ते के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में लिखित रूप में देने के लिए कहा जाना चाहिए कि "मैं था।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुसार राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत होने पर, हालांकि, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर घोषणा करता हूँ कि मैं राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा और मुझे उनके द्वारा तलाशी ली जा सकती है।

अधिकार प्राप्त अधिकारी।” इससे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन को और अधिक विश्वास मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यह पूरी कार्यवाही को प्रामाणिकता, पारदर्शिता और श्रेय योग्यता प्रदान करेगा। हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन अब से संभावित रूप से लागू होगा।

64. उपरोक्त चर्चा से, धारा 50 द्वारा परिकल्पित आवश्यकताओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) धारा 50 अधिकार के साथ-साथ दायित्व दोनों प्रदान करती है। तलाशी लेने वाले व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट 333 की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने का अधिकार है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 334

यदि वह ऐसा चाहता है, और यह पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ने से पहले ऐसे व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित करे।

((ii) जहां तलाशी लेने वाला व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है, वहां पुलिस अधिकारी तलाशी के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, यदि संदिग्ध राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है, तो अधिकार प्राप्त अधिकारी को संदिग्ध से यह लिखित रूप में लेना चाहिए कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहेगा और अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी ली जा सकती है। (iii) तलाशी लेने से पहले, यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि यह लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है और मौखिक रूप से यह बताने की अनुमति है कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने का अधिकार है।

(iv) अधिकार को सूचित करते समय, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के केवल दो विकल्प दिए जाने चाहिए, जो स्वतंत्र भी होना चाहिए और किसी भी तरह से छापा मारने वाले पक्ष से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

(v) कई व्यक्तियों की तलाशी लेने के मामले में, उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक को अपनी क्षमता में इसका प्रयोग या छूट देनी चाहिए। इस अधिकार का कोई भी संयुक्त या सामान्य संचार धारा 50 का उल्लंघन

होगा।(vi) जहां धारा 50 के तहत अधिकार का प्रयोग किया गया है, यह तय करना पुलिस अधिकारी का निर्णय है कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है या नहीं, लेकिन उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(vii) धारा 50 केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होती है, और इसका कोई आवेदन नहीं होगा जहां किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध के संबंध में तलाशी ली गई थी।

(viii) जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के तहत तलाशी के दौरान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया जाता है, वहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित प्रावधान तुरंत शुरू हो जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आवेदन करना, हालांकि ऐसी स्थिति में धारा 50 का पालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि खोज पहले ही की जा चुकी थी।

(ix) अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का भार है कि तलाशी लेने से पहले धारा 50 द्वारा लगाए गए दायित्व का विधिवत पालन किया गया था।

(x) कोई भी आपत्तिजनक निषिद्ध पदार्थ, जिसका कब्जा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दंडनीय है और धारा 50 का उल्लंघन करते हुए बरामद किया गया है, अस्वीकार्य होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यह उसी के संबंध में मुकदमे को दूषित नहीं करेगा। बरामद की गई किसी भी अन्य वस्तु पर किसी भी अन्य स्वतंत्र कार्यवाही में भरोसा किया जा सकता है।

क्या अभियुक्त के थैले की तलाशी लेते समय धारा **50** लागू होती है?

65. ऊपर चर्चा किए गए बलदेव सिंह (उपरोक्त) ने इस बहस को जन्म दिया कि धारा 50 के तहत निर्धारित "किसी व्यक्ति की खोज" में क्या शामिल किया जाएगा। इस न्यायालय ने "व्यक्ति" शब्द की शाब्दिक या सख्त व्याख्या देते हुए अभिव्यक्ति की व्याख्या करना शुरू कर दिया, जिससे किसी व्यक्ति की खोज को थैले या वाहन या परिसर से अलग किया गया। नतीजतन, भले ही आरोपी व्यक्ति के थैले की तलाशी लेते समय धारा 50 का पालन नहीं किया गया हो, फिर भी वसूली के साक्ष्य को स्वीकार्य माना जाएगा। हालाँकि, समय के साथ, इस न्यायालय ने "व्यक्ति" शब्द को थोड़ा व्यापक अर्थ में पढ़ना शुरू कर दिया ताकि यह आदेश दिया जा सके कि धारा 50 का अनुपालन अभियुक्त से अटूट रूप से जुड़ी किसी भी चीज़ की खोज करते समय भी किया जाए। नतीजतन, एक बैग जिसे आरोपी द्वारा ले जाया जा रहा था, उसे आरोपी से अटूट

रूप से जोड़ा गया माना जाता था, और इसलिए, धारा 50 का पालन किए बिना ऐसे बैग से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई भी बरामदगी अस्वीकार्य होगी।

66. अब हम धारा 50 की व्याख्या पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करेंगे।

धारा 50 में आरोपी 335 द्वारा ले जाए जा रहे थैले को शामिल नहीं किया गया है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 336

67. कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य में रिपोर्ट (1999)

8 एस. सी. सी. 257,2 किलो हेरोइन अभियुक्त के एक थैले से बरामद की गई। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि धारा 50 के तहत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था, इसलिए तलाशी के दौरान बरामद प्रतिबंधित पदार्थ अस्वीकार्य होगा। इस अदालत ने इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए और बलदेव सिंह (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए कहा कि धारा 50 अभियुक्त के थैले की तलाशी पर लागू नहीं होगी। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

“4. ... जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही बताया गया है कि किसी व्यक्ति के सामान की तलाशी स्वयं उस व्यक्ति की तलाशी के समान नहीं है। पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 50 के तहत अभियुक्त को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता तभी अस्तित्व में आती है जब अभियुक्त के व्यक्ति की तलाशी ली जानी है। पंजाब राज्य बनाम जसबिर सिंह मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि अभियुक्त के थैलों से खसखस का पुआल बरामद किया गया था, फिर भी उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता थी, अब बलदेव सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ एक थैला या कोई अन्य वस्तु ले जा रहा है और उससे मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ पाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उसके "व्यक्ति" से पाया गया था। इस मामले में हेरोइन अपीलार्थी से संबंधित एक थैले से मिली थी न कि उसके व्यक्ति से और इसलिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी के लिए उसे छोड़ना आवश्यक नहीं था।”

(जोर दिया गया) 68। (1999) 8 एस. सी. सी. 508 में रिपोर्ट किए गए सरजुदास बनाम गुजरात राज्य के मामले में, अभियुक्त के स्कूटर पर लटके एक थैले से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, जिसे वह चला रहा था। इस न्यायालय ने थैले को धारण करते हुए "व्यक्ति की तलाशी" में शामिल नहीं किया, जो इस प्रकार है:-

“4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जो तर्क दिया है वह यह है कि अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था कि

वे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूछताछ के हकदार थे और इसलिए, अपीलार्थी की तलाशी अवैध थी और उनके कब्जे से चरस की वसूली के संबंध में साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

5. हम इस विवाद में कोई सार नहीं पाते हैं क्योंकि अपीलार्थियों के व्यक्ति पर चरस नहीं पाया गया था, लेकिन यह एक थैले में रखा हुआ पाया गया था जो उस स्कूटर पर लटका हुआ था जिस पर वे सवार थे। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें आरोपी के व्यक्ति की तलाशी ली गई और उसके व्यक्ति से मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ पाया गया। इस मुद्दे पर कानून की सही स्थिति इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह "(जोर दिया गया) में कही गई है।

69. (2000) 9 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किए गए बीराकिशोर कर बनाम उड़ीसा राज्य में

541, प्रतिबंधित पदार्थ एक प्लास्टिक बैग से बरामद किया गया था जिस पर आरोपी ट्रेन में यात्रा करते समय बैठा था। चूंकि अभियुक्त के शरीर की तलाशी नहीं ली गई थी, इसलिए धारा 50 को लागू नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“3. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा अब जो तर्क दिया गया है वह यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकता है, कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूछताछ किए जाने के उसके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए या इस मामले में राजपत्रित अधिकारी का पालन नहीं किया गया था। यह तर्क वास्तव में गलत है। इस मामले में यह अपीलार्थी का व्यक्ति नहीं था जिसकी तलाशी ली गई थी। वह एक प्लास्टिक के थैले पर बैठा पाया गया जो उसका था और जिसमें खसखस का पुआल था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] मामले में बताया गया है, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी जो किसी भी आधार आदि की खोज से अलग है। चूंकि हम इस अपील में कोई सार नहीं रखते हैं, यह

बर्खास्त किया जाता है।” (जोर दिया गया) 70। (2000) 10 एस. सी. सी. 380 में दर्ज कन्हैया लाल बनाम एम. पी. राज्य मामले में, आरोपी द्वारा ले जाए जा रहे थैले से अफीम बरामद की गई थी। धारा 50 को लागू नहीं किया गया था क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वसूली व्यक्ति से नहीं बल्कि थैले से की गई थी, और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

“2. इस अपील में उठाया गया एकमात्र बिंदु यह है कि इस मामले में अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था और इसलिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना अवैध है। हमारी राय में, इस विवाद में कोई सार नहीं है क्योंकि 1 किलो अफीम

अपीलार्थी के व्यक्ति से नहीं मिली थी, बल्कि यह एक थैले से मिली थी जिसे अपीलार्थी ले जा रहा था। इसलिए, यह एक ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जहां आरोपी के व्यक्ति की खोज में, एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ पाया गया था। हमारी राय में, 337

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 338

नीचे की अदालतों ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी उक्त अपराध करने का दोषी है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।”

(जोर दिया गया)

71. इसी तरह, गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य में रिपोर्ट (2001)

3 एस. सी. सी. 28, उसमें आरोपी को 7 किलो वजन के खसखस के पुआल से भरा एक बोरे के साथ एक ट्रेन से उतरते समय पकड़ा गया था। इसमें राज्य के वकील ने तर्क दिया कि धारा 50 के तहत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यक्ति से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को स्वीकार करते हुए और बलदेव सिंह (उपरोक्त) का हवाला देते हुए कहा कि:-

“8. संवैधानिक पीठ के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए, हमारे विचार में, इस पहलू पर आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम उल्लेख कर सकते हैं कि यह अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार का विस्तार है। संहिता की धारा 100 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जब भी तलाशी या निरीक्षण के लिए उत्तरदायी कोई स्थान बंद होता है, तो ऐसे स्थान में रहने वाला या उसका प्रभारी होने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या वारंट निष्पादित करने वाले अन्य व्यक्ति की मांग पर, और वारंट पेश करने पर, उसे उसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देगा, और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जहां ऐसे स्थान पर या उसके आसपास किसी व्यक्ति पर किसी ऐसी वस्तु को छिपाने का यथोचित संदेह है, जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति एक महिला है, तो शालीनता को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी। धारा 100 की उप-धारा (7) में आगे यह प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति की उप-धारा (3) के तहत तलाशी ली जाती है तो कब्जे में ली गई सभी चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। यह भी स्पष्ट होगा यदि हम तलाशी और जब्ती, भवन, परिवहन या स्थान की धारा 42 और 43 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। इसलिए, हमारे विचार में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 केवल उन मामलों में लागू होगी जहां व्यक्ति की तलाशी ली जाती है।” (जोर दिया गया)

72. बेकोडन अब्दुल रहिमान बनाम केरल राज्य में रिपोर्ट किया गया

(2002) 4 एस. सी. सी. 229, प्रतिबंधित पदार्थ धोती के तहों में छिपे एक पॉलिथीन बैग से बरामद किया गया था, जिसे आरोपी ने पहना हुआ था। अदालत ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अभियुक्त को बरी कर दिया क्योंकि अभियुक्त की तलाशी लेते समय धारा 50 का पालन नहीं किया गया था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

“3. ... कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 42 और 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं और उनका गैर-अनुपालन जांच को अवैध बना देगा। यह दोहराया गया कि सजा जितनी गंभीर होगी, यह देखने के लिए अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए कि कानून में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाए। धारा 50 में उल्लिखित सुरक्षा उपायों का उद्देश्य दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है-व्यक्ति को झूठे आरोप और तुच्छ आरोपों से बचाना और साथ ही अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को विश्वसनीयता प्रदान करना। यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी धारा की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष को परिणामों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया की वैधता संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी द्वारा की गई अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है और इसका प्रभाव न्याय के प्रशासन से असहनीय रूप से समझौता करने का हो सकता है।

X

X

X

X

5. ... इसी तरह धारा 50 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि आरोपी को कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहता है। माना जाता है कि धारा 50 का अनुपालन उसके (पीडब्लू 1) द्वारा अभियुक्त से यह पूछने पर पूरा किया गया था कि "क्या मुझे वरिष्ठ अधिकारियों या राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में उसकी तलाशी लेनी चाहिए"। अभियुक्त को धारा 50 के तहत प्रदत्त उसके अधिकार से अवगत कराया जाना आवश्यक था, जिससे उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया जा सके। अभियुक्त को उसके अधिकार से अवगत नहीं कराया गया है और न ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जा रही तलाशी के लिए उसे कोई विकल्प दिया गया है।

6. हमारी राय है कि धारा 42 की उप-धारा (2) के प्रावधान और धारा 50 के अधिदेश का अभियोजन पक्ष द्वारा पालन नहीं किया गया था, जिससे मामला स्थापित नहीं हुआ। अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन को देखते हुए, अपीलार्थी बरी होने का हकदार था।...

(जोर दिया गया)

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

339

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 340

73. मदन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में (2003) 7

एस. सी. सी. 465, अभियुक्त व्यक्ति की कार के अंदर रखे बैग की तलाशी से बरामद किया गया था। इस न्यायालय ने धारा 50 की प्रयोज्यता के संदर्भ में किसी व्यक्ति और वाहन की तलाशी के बीच अंतर करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“16. धारा 50 को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है। इसका विस्तार किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है (देखें कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्न, पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य)। खंड की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। इस स्थिति को बलदेव सिंह के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुलझा लिया गया था। स्थिति के ऊपर, अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के बारे में विवाद भी बिना किसी सार के है।”

(जोर दिया गया)

74. पंजाब राज्य बनाम माखन चंद में रिपोर्ट (2004) 3 एस. सी. सी.

453, आरोपी को एक बस से पकड़ा गया था जिसके हाथ में एक टिन का डिब्बा था जिससे प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। उच्च न्यायालय ने इसमें आरोपी को धारा 50 का पालन न करने के आधार पर बरी कर दिया था। इस तथ्य पर कि मामले में धारा 50 लागू होगी, उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया और आरोपी को दोषी ठहराया गया। यह माना गया था कि:-

“7. उपरोक्त प्रश्न के अलावा, हमारा यह भी विचार है कि अधिनियम की धारा 50 ऐसी स्थिति पर लागू नहीं होगी जहां की गई तलाशी आरोपी के व्यक्ति की नहीं है, बल्कि कुछ की गई है।

उसके हाथ में।...”

(जोर दिया गया)

75. (2004) 2 एस. सी. सी. 186 में रिपोर्ट किए गए साइको जब्बी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले में, अभियुक्त के सूटकेस से इसकी जांच के बाद प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब प्रदर्शन के दौरान सूटकेस की तलाशी ली गई थी, तो इसे अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी नहीं माना जा सकता है, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

“11. धारा 50 को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है। इसका विस्तार किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (देखें कलेमा तुम्बा बनाम स्टेट ऑफ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

महाराष्ट्र, पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह और गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य)। धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। इस स्थिति को बलदेव सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुलझा लिया गया था। स्थिति के ऊपर, अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के बारे में विवाद भी बिना किसी सार के है।

12. हाथ में मामले में, प्रतिबंधित वस्तुओं को आरोपी के नीले सूटकेस में छिपाए जाने का संदेह था, और यह उसके भौतिक कब्जे में नहीं था। सूटकेस को स्क्रीनिंग मशीन पर रखा गया था। इसकी तुलना व्यक्तिगत तलाशी द्वारा अभियुक्त के व्यक्ति से की गई बरामदगी से नहीं की जा सकती है।”

वस्तु के व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़े होने का परीक्षण

76. इस अदालत ने एक और व्याख्या दी, जिसमें उसने कहा कि बैग या कंटेनर जैसी वस्तुएं जो आरोपी के व्यक्ति से "अटूट रूप से जुड़ी हुई" हैं, उन्हें धारा 50 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। नतीजतन, "व्यक्ति" शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया गया।

77. नामदी फ्रांसिस न्वाज़ोर बनाम भारत संघ में (1998) 8 में रिपोर्ट की गई

एस. सी. सी. 534, एक विदेशी नागरिक के सामान की कुछ जानकारी के आधार पर तलाशी ली गई। हैंडबैग से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ, लेकिन चेक-इन बैग से नशीले पदार्थ बरामद किए गए। तदनुसार, उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने इसमें दलील दी कि उसके सामान की तलाशी लेते समय धारा 50 का पालन नहीं किया गया था। इस अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि बैग आरोपी के तत्काल कब्जे में नहीं था, इसलिए धारा 50 का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, इस अदालत ने विस्तार से बताया कि अगर तलाशी के समय आरोपी के हाथ

के थैले से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया होता, तो धारा 50 का पालन करना पड़ता।तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

“3. धारा 50 की उप-धारा (1) को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह किसी भी व्यक्ति की खोज के मामलों पर लागू होता है और किसी भी वस्तु की खोज इस अर्थ में नहीं होती है कि वह वस्तु उस दूर के स्थान पर है जहाँ से वास्तव में खोज की जाती है।यह स्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब हम 341

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 342

धारा 50 की उप-धारा (4) का उल्लेख करें जिसमें कहा गया है कि किसी महिला को छोड़कर किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।वस्तुतः, इसका अर्थ यह होगा कि जब अभियुक्त के व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, तो कानून के अनुसार यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी केवल एक महिला द्वारा की जाएगी।तलाशी के समय दूर की जगह पर पड़ी महिला के सामान की तलाशी के लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होगी।यह एक और बात है कि उक्त वस्तु को उस स्थान से लाया जाता है जहां वह पड़ी है और उस स्थान पर तलाशी ली जाती है, लेकिन यह कानूनी स्थिति को नहीं बदल सकता है कि जब आरोपी को पकड़ा जाता है तो वह उक्त वस्तु को अपने साथ नहीं ले जा रहा था।हमें यह स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि यदि उस व्यक्ति के पास एक हैंडबैग या इसी तरह का सामान है और उसमें से आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है, तो फिर भी आरोपी के व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, जिसके लिए अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता होगी। हालांकि, जब कोई वस्तु कहीं और पड़ी होती है और आरोपी के व्यक्ति पर नहीं होती है और उसे उस स्थान पर लाया जाता है जहां आरोपी पाया जाता है, और तलाशी लेने पर, उसमें से आपत्तिजनक वस्तुएं पाई जाती हैं, तो यह अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं कर सकती है क्योंकि यह साधारण कारण है कि यह आरोपी व्यक्ति पर नहीं पाया गया था।इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर, यह मानना मुश्किल है कि धारा 50 आकर्षित थी और उस प्रावधान का पालन न करना अभियोजन मामले के लिए घातक था।” (जोर दिया गया)

78. इसके बाद, अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य मामले में

(2000) 2 एस. सी. सी. 513 में सूचित, इस न्यायालय (तीन-न्यायाधीशों की पीठ) ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया।यह ध्यान देने योग्य है कि पीठ की अध्यक्षता डॉ. ए. एस. आनंद, सी. जे. ने की थी, जिन्होंने बलदेव सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ का निर्णय लिखा था।उक्त मामले में, एक ऑटो रिक्शा में चार बोरे पाए गए, जिसे आरोपी चला रहा था और कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।बलदेव सिंह (उपरोक्त) के मामले में धारा 50 के गैर-अनुपालन पर आधारित तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बोरे आरोपी के व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़े नहीं थे।यह माना गया था कि:-

“12. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के पास भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि पुलिस दल ने उसकी तलाशी ली थी। जिस स्थान पर वाहन में बोरे पाए गए थे, वह अपीलार्थी के व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़ा नहीं था। इसलिए यह इस मामले में एक निष्क्रिय अभ्यास है,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

तथ्य-स्थिति, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या अधिनियम की धारा 50 में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

(जोर दिया गया)

79. इसके बाद, यशी योबिन में।v. सीमा शुल्क विभाग, शिलांग

(2014) 13 एस. सी. सी. 344 में सूचित, किसी वस्तु के "व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़े" होने का परीक्षण नामदी (ऊपर) पर भरोसा करते हुए निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की खोज और किसी कृत्रिम वस्तु के बीच अलगाव की रेखा पतली और वास्तविक है, अभेद्य संबंध का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या खोज किसी व्यक्ति की थी या नहीं। यह माना गया था कि:-

“10. कानून में इस स्थिति का निपटारा पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह और मेघ सिंह बनाम पंजाब राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 666 के मामले में संविधान पीठ द्वारा किया जाता है, जहां धारा 50 का आवेदन केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में होता है, जबकि परिसरों, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के मामले में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति और किसी कृत्रिम वस्तु की खोज के बीच अलगाव की रेखा पतली और निश्चित है, अविभाज्य संबंध का परीक्षण लागू किया जाना है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या खोज किसी व्यक्ति की थी या नहीं। उपरोक्त परीक्षण नामदी फ्रांसिस न्वाज़ोर बनाम भारत संघ और अन्न के मामले में देखा गया है। (1998) 8 एस. सी. सी. 534, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि तलाशी एक ऐसे थैले की है जो व्यक्ति के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, तो अधिनियम की धारा 50 लागू होगी, और यदि यह इस तरह से जुड़ा नहीं है, तो प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह तब होता है जब कोई वस्तु कहीं और पड़ी होती है और आरोपी के व्यक्ति पर नहीं होती है और उसे उस स्थान पर लाया जाता है जहां आरोपी पाया जाता है, और तलाशी लेने पर, उसमें से आपत्तिजनक वस्तुएं पाई जाती हैं जो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं कर सकती हैं क्योंकि साधारण कारण यह है कि आरोपी व्यक्ति पर थैला नहीं मिला था।

11. तत्काल मामले में, थैले को ए-2 द्वारा लाया जाता है और थैले की सामग्री को उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है और तलाशी के लिए दिया जाता है जिसे बाद में प्रतिबंधित पदार्थ मिलने

के बाद अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ऐसे मामले में किसी व्यक्ति और थैले की तलाशी के बीच अटूट संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह केवल थैले की तलाशी है और इसलिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

(जोर दिया गया)

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

343

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 344

80. हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यशीहे (ऊपर) में नीचे दिया गया कानून अब एक अच्छा कानून नहीं है। एच. पी. राज्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाम पवन कुमार ने **(2005) 4 एस. सी. सी. 350** में रिपोर्ट की, नामदी (ऊपर) को अलग किया और कहा कि इसमें जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, वे इस बिंदु पर स्पष्ट थे। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

“16. ... तब पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामले के तथ्यों पर धारा 50 आकर्षित नहीं थी। मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस थैले से आपत्तिजनक वस्तु बरामद की गई थी, उसे पहले ही चेक इन किया जा चुका था और विमान में लादा गया था। इसलिए, यह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं थी जिसके प्रति धारा 50 आकर्षित हो। निर्णय के बाद के भाग (ऊपर पुनः प्रस्तुत) में की गई टिप्पणियाँ आज्ञाकारी प्रकृति की हैं क्योंकि मामले के निर्णय के लिए ऐसी स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे हैंडबैग की तलाशी किसी व्यक्ति की तलाशी के बराबर होगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले का फैसला पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह में संविधान पीठ के फैसले से पहले किया गया था। बलदेव सिंह के मामले में निर्णय के बाद, इस अदालत ने लगातार कहा है कि धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी पर लागू होगी, न कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे किसी थैले, वस्तु या पात्र आदि पर।”

(जोर दिया गया)

"व्यक्ति" शब्द का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

81. पवन कुमार (उपरोक्त) मामले में वृहद पीठ का निर्णय इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा राज्य एच. पी. बनाम पवन कुमार (उपरोक्त) मामले में एक संदर्भ के परिणामस्वरूप आया। पवन कुमार ने **(2004) 7 एस. सी. सी. 735** में रिपोर्ट किया। उक्त मामले में, एक सिपाही द्वारा की गई तलाशी के बाद आरोपी के थैले से अफीम बरामद की गई। उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि थैले की तलाशी के दौरान धारा 50 का पालन नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि थैले

को आरोपी से अटूट रूप से जोड़ा गया था, इसलिए धारा 50 का पालन किया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति सभरवाल द्वारा अभिलिखित तथ्य को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“21. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी अपने कंधे पर एक थैला लिए हुए था; थैले से अफीम जैसी गंध आ रही थी; और हेड कांस्टेबल ने पुलिस उपाधीक्षक को सूचित किया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

मौके पर पहुंचे। तलाशी से पहले, पुलिस उपाधीक्षक को अफीम के संदिग्ध कब्जे के बारे में सूचित किया गया था। पीडब्लू 7 की गवाही है कि आरोपी के व्यक्ति की पुलिस उपाधीक्षक द्वारा तलाशी ली गई और तलाशी लेने पर अफीम युक्त बैग मिला। इस तथ्य स्थिति पर, यह नहीं माना जा सकता है कि तलाशी किसी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक थैले की थी। दोनों अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। यह माना जाना चाहिए कि तलाशी प्रत्यर्थी के व्यक्ति की थी। स्पष्ट रूप से, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 लागू थी लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। इसलिए, प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सका और उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि धारा 50 का उल्लंघन किया गया था।”

82. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने न्यायमूर्ति सभरवाल से अलग गुरबक्स सिंह (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए कहा कि धारा 50 का पालन न करने से वसूली अस्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि वसूली बैग से हुई थी न कि आरोपी के व्यक्ति से। न्यायमूर्ति पसायत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“24. बलदेव सिंह के मामले (ऊपर) ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होता है। महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या किसी व्यक्ति के कंधे या पीठ पर रखे गए थैले की तलाशी धारा 50 के दायरे में आती है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास पाए गए थैले की खोज और उसके द्वारा ले जाए गए थैले के बीच अंतर करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। कन्हैया लाल बनाम एम. पी. राज्य, (2000) 10 एस. सी. सी. 380 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब अभियुक्त द्वारा लिए गए थैले की तलाशी ली जाती है, तो धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं होता है। गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2001) 3 एस. सी. सी. 28 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब अभियुक्त के कंधे पर एक थैला ले जाया जा रहा था, तो धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।”

83. तदनुसार, मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया और पवन कुमार (उपरोक्त) मामले में निर्णय लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति पसायत द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार किया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के तहत "व्यक्ति" शब्द का अर्थ एक प्राकृतिक व्यक्ति या एक जीवित इकाई होगा न कि एक कृत्रिम व्यक्ति यानी एक थैला या एक ब्रीफकेस।

84. पवन कुमार (ऊपर) में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दो हेड कांस्टेबल, हुकुम सिंह और मुंशी राम और कुछ पुलिस कर्मी 18.07.1994 की रात को बस स्टैंड, मंडी में बसों की जांच कर रहे थे। लगभग 8.45 बजे एक बस की जांच करते समय, उन्होंने देखा कि 345

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 346

आरोपी पवन कुमार (उसमें प्रतिवादी आरोपी), जो एक बैग ले जा रहा था, बस के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और उसके बाद सब्जी मंडी की ओर भागने लगा। पुलिस कर्मियों को संदेह हुआ और पीछा करने के बाद उन्हें बस स्टैंड के गेट के पास पकड़ लिया गया। उन्होंने थैले से निकलने वाली अफीम की गंध महसूस की, और इसलिए, टेलीफोन पर प्रेम ठाकुर, डिप्टी S.P./S.H.O, पी. एस. सदर, मंडी को सूचित किया। प्रेम ठाकुर मौके पर आया और आरोपी से पूछा कि क्या वह पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेना चाहता है। आरोपी ने अपने नाम का खुलासा किया और पुलिस द्वारा तलाशी लेने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद आरोपी और उसके द्वारा ले जाए जा रहे थैले की तलाशी ली गई और 360 ग्राम। थैले के अंदर पॉलिथीन में लिपटे हुए अफीम पाए गए।

85. इस न्यायालय ने धारा 50 की कड़ाई से व्याख्या की और कहा कि कानूनों की व्याख्या का मुख्य नियम कानून को शाब्दिक रूप से पढ़ना और शब्दों को उनका व्याकरणिक और प्राकृतिक अर्थ देना है। इस संबंध में, यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:-

“8. विधियों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में से एक उन्हें शब्दों के सादे, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझना है। यदि वह कानून के किसी भी स्पष्ट इरादे या घोषित उद्देश्य के विपरीत है, या उसके साथ असंगत है, या यदि इसमें कोई बेतुकी, असंगतता या असंगतता शामिल है, तो व्याकरणिक अर्थ को संशोधित, विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए, जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिए, लेकिन आगे नहीं। यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब यह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, उस पार्टी पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो उस पर आरोप लगाती है। उसे कुछ ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्याकरणिक संरचना अधिनियम के इरादे के प्रतिकूल होगी या कुछ स्पष्ट बेतुकेपन की ओर ले जाएगी (देखें कानून पर क्रेज़, सातवां संस्करण। पृष्ठ 83-85)। प्रसिद्ध ग्रंथ-न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत में, विद्वान लेखक ने वही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कानून के शब्दों को पहले उनके प्राकृतिक, सामान्य या लोकप्रिय अर्थों में समझा जाता है और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाता है, जब तक कि यह कुछ बेतुका की ओर न ले जाए या जब तक कि इसके विपरीत सुझाव देने के लिए कानून के संदर्भ में या उद्देश्य में कुछ न हो (अध्याय-शाब्दिक निर्माण का नियम-पी देखें। 78 - 9th Edn.)। इस न्यायालय ने भी शुरू से ही इस सिद्धांत का पालन किया है। जुगलकिशोर सराफ

बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड:(1955) 1 एससीआर 1369, एस. आर. दास, जे. ने कहा:-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“कानूनों के निर्माण का मुख्य नियम कानून को शाब्दिक रूप से पढ़ना है, यानी विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को उनका सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ देना। हालाँकि, यदि इस तरह के पढ़ने से बेतुकेपन की ओर जाता है और शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, तो न्यायालय इसे अपना सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई वैकल्पिक निर्माण संभव नहीं है, तो न्यायालय को शाब्दिक व्याख्या के सामान्य नियम को अपनाना चाहिए।” (जोर दिया गया)

86. वृहद पीठ ने "व्यक्ति" शब्द के शब्दकोश अर्थों पर भी विचार किया और कहा कि बैग, ब्रीफकेस या कंटेनर जैसी किसी भी वस्तु को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति या उसका हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि परीक्षणों में से एक हो सकता है, जहां खोज की प्रक्रिया में मानव शरीर संपर्क में आता है या खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे छूना पड़ता है। यदि ऐसा है, तो यह किसी व्यक्ति की खोज होगी। हालाँकि, इस न्यायालय ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि एक बैग या ब्रीफकेस या ऐसी किसी भी वस्तु की व्याख्या एक व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

“10. हम यहाँ "व्यक्ति" शब्द की व्यापक अवज्ञा से चिंतित नहीं हैं, जिसमें कानूनी दुनिया में निगम, संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है क्योंकि वास्तव में इस प्रकार के मामलों में उनके परिसरों की खोज की जा सकती है न कि उनके व्यक्ति की। अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें इसका उपयोग धारा में किया गया है, इसका स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य या एक जीवित व्यक्तिगत इकाई है न कि एक कृत्रिम व्यक्ति। इस शब्द को व्यापक सामान्य ज्ञान के तरीके से समझना होगा और इसलिए, किसी मनुष्य के नग्न या नग्न शरीर को नहीं बल्कि एक सभ्य समाज में एक सामान्य मनुष्य के चलने-फिरने के तरीके को समझना होगा। इसलिए, "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है-"एक मनुष्य का शरीर जैसा कि आम तौर पर अपने उपयुक्त आवरण और कपड़ों के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है।" सभ्य समाज में उचित आवरण और कपड़े को बिल्कुल आवश्यक माना जाता है और कोई भी समझदार व्यक्ति उचित आवरण और कपड़ों के बिना दूसरों की नज़रों में नहीं आता है। उपयुक्त आवरण में जूते भी शामिल होंगे क्योंकि आम तौर पर इसे घर से बाहर जाते समय पहनना एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। इस तरह के उपयुक्त आवरण या कपड़े या जूते, पहने जाने के बाद, मानव शरीर के साथ बिना किसी सराहनीय या अतिरिक्त प्रभाव के चलते हैं। एक बार पहने जाने के बाद, वे आम तौर पर 347 से अलग नहीं होते थे।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

मनुष्य का शरीर जब तक कि उस दिशा में कुछ विशिष्ट सी. एफ. ओ. आर. टी. नहीं बनाया जाता है। प्रावधान की व्याख्या करने के लिए, कुछ धार्मिक भिक्षुओं और ऋषियों के दुर्लभ मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जो अपने धार्मिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार अपने शरीर को कपड़ों से नहीं ढकते हैं। इसलिए, "व्यक्ति" शब्द का अर्थ होगा उपयुक्त आवरण और कपड़े और जूते के साथ एक इंसान।

11. एक थैला, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के शरीर के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्हें एक अलग नाम दिया गया है और वे इस तरह से पहचान करने में सक्षम हैं। उन्हें दूर से भी मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह अलग-अलग आकार, आयाम या वजन के बैग, एक ब्रीफकेस, एक सूटकेस, एक टिन बॉक्स, एक थैला, एक झोला, एक गथरी, एक होल्डल, एक कार्टन आदि जैसी किसी भी संख्या में वस्तुओं को ले जा सकता है। हालाँकि, उन्हें ले जाते समय या उनके साथ चलते समय, कुछ अतिरिक्त प्रवाह या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटका देना होगा या सिर पर रखना होगा। आम बोलचाल में यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक विशेष वस्तु ले जा रहा है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि इसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि कैसे ले जाया गया था। इसलिए, इन अनुच्छेदों को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले "व्यक्ति" शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है। 12. एक आपत्तिजनक वस्तु को शरीर या कपड़ों या आवरणों में अलग-अलग तरीके से या जूतों में छिपा कर रखा जा सकता है। इस तरह की वस्तुओं की खोज करते समय, जिन्हें इतना छिपा कर रखा गया है, यह निश्चित रूप से "व्यक्ति की खोज" शब्द के दायरे में आएगा। परीक्षणों में से एक, जिसे लागू किया जा सकता है, वह यह है कि जहां खोज की प्रक्रिया में मानव शरीर संपर्क में आता है या खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे छूना पड़ता है, वह एक व्यक्ति की खोज होगी। इसका कुछ संकेत अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि एक महिला को छोड़कर किसी भी महिला द्वारा तलाशी नहीं ली जाएगी। विधायिका ने जानबूझकर यह प्रावधान किया है कि किसी महिला की खोज करते समय, उसके शरीर के संपर्क में आ सकता है या उसे छूने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, यह केवल एक महिला द्वारा किया जाना चाहिए। थैला, ब्रीफकेस या ऐसी किसी वस्तु या पात्र आदि के मामले में, वे आम तौर पर मनुष्य के शरीर के साथ तब तक नहीं चलते जब तक कि कुछ अतिरिक्त या विशेष इफ़ेक्ट नहीं बनाया जाता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

या तो उन्हें हाथ में ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटका देना होगा या सिर पर रखना होगा। उन्हें आसानी से और कुछ ही समय में वाहक के शरीर से दूर रखा जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं की खोज करने के लिए, वाहक का शरीर खोज करने वाले व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा। ऐसी वस्तुओं को व्यक्ति, अर्थात् मनुष्य के शरीर के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है। अभेद्य का अर्थ है विच्छेदित या मुक्त होने में असमर्थ होना या एक भूलभुलैया या उलझन बनाना जिससे मुक्त होना असंभव है।”

(जोर दिया गया) 87। वृहद पीठ ने धारा 50 के दायरे का विश्लेषण करते हुए बलदेव सिंह (ऊपर) पर भी भरोसा किया और कहा कि:-

“13. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह में एक संविधान पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 50 के दायरे और दायरे की काफी विस्तार से जांच की गई थी और रिपोर्टों के पैरा 12 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: “12. इसके सादे पाठ पर, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी जो किसी भी परिसर आदि की तलाशी से अलग है। हालांकि, यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 द्वारा विचार किए गए किसी भी पूर्व सूचना के बिना, किसी संदिग्ध मामले की जांच के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या गिरफ्तारी का कारण बनता है और उस तलाशी के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएं आकर्षित नहीं होती हैं।”

पीठ ने रिपोर्टों के पैरा 57 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया और उप-पैरा (1), (2), (3) और (6) नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

x

x

x

x

14. संविधान पीठ के उपरोक्त उद्धृत कथन से पता चलता है कि धारा 50 के प्रावधान केवल अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होंगे, न कि बैग, वस्तु या कंटेनर आदि जैसे कुछ सामान के मामले में जो वह ले जा रहा हो।” (जोर दिया गया)

88. तदनुसार, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के लाभ को थैले या वस्तुओं को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे प्रावधान की अव्यवहारिक समझ पैदा हो सकती है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 350

“18. इस मामले का एक और पहलू है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अपराधिक कानून पूरी तरह से निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए और इसके अनुप्रयोग में कोई अस्पष्टता या भ्रम नहीं होना चाहिए। यही सिद्धांत तलाशी या जब्ती के मामले में भी लागू होना चाहिए, जो अपराध का पता लगाने के क्षेत्र में आता है। ऐसे थैलों या वस्तुओं की स्थिति स्थिर नहीं होती है और उन्हें ले जाने वाला व्यक्ति अक्सर उन्हें ले जाने के तरीके को बदल देता है। बस स्टैंड या रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने वाले लोग कभी-कभी अपना सामान जमीन पर रखते हैं और कभी-कभी अपने हाथ, कंधे या पीठ में रखते हैं। जमीन से हाथ या कंधे पर स्थिति के परिवर्तन में एक सेकंड का एक अंश लगेगा, लेकिन अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क पर कि इस तरह से ले जाए गए थैले की तलाशी किसी व्यक्ति की तलाशी होगी, यह अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता में एक तेज अंतर लाएगा। जानकारी प्राप्त करने के बाद, अधिनियम की धारा 42 के तहत सशक्त एक अधिकारी, किसी व्यक्ति के इस तरह के सामान की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसे जमीन पर रखा गया हो सकता है, लेकिन अगर उसी समय जब वह इसे खोलने वाला हो, तो वह व्यक्ति बैग उठाता है या इसे अपने कंधे पर या अपने शरीर पर किसी अन्य स्थान पर रखता है, तो धारा 50 आकर्षित हो सकती है। यदि एक समूह में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ घूम रहे हैं तो एक ही सामान अक्सर हाथ बदलता रहता है। जिस समय सामान की तलाशी ली जाने वाली है, उस समय सामान का इस तरह का हस्तांतरण फिर से व्यावहारिक समस्या पैदा करेगा। ऐसे मामले में किसे इस अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा कि वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का हकदार है? इससे कई व्यावहारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। कानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अव्यवहारिक या अव्यवहारिक परिणामों से बचा जा सके। फ्रांसिस बेनिओन (तीसरा संस्करण) द्वारा सांविधिक व्याख्या, पैरा 313 में, सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से कहा गया है:

“न्यायालय एक ऐसे अधिनियम के निर्माण से बचना चाहता है जो एक अव्यवहारिक या अव्यवहारिक परिणाम उत्पन्न करता है, क्योंकि संसद द्वारा इसका इरादा किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि, कभी-कभी इस तरह के निर्माण को लागू करने के लिए प्रमुख कारण होते हैं, उदाहरण के लिए जहां यह प्रतीत होता है कि संसद वास्तव में इसका इरादा रखती है या शाब्दिक अर्थ बहुत मजबूत है।”

X

X

X

X

[2023] 13 एस सी आर।

26. पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक मामले में संविधान पीठ का निर्णय:(1974) 1 एस. सी. सी. 345, पर पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह में विचार किया गया था और अधिनियम की योजना और विशेष रूप से इसकी धारा 50 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं था कि उक्त मामले में निर्णय में यह कहा जा सकता है कि "बरामद अवैध वस्तु" का उपयोग संदिग्ध से अवैध तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के "गैरकानूनी कब्जे के प्रमाण" के रूप में किया जा सकता है। अन्यथा, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन करने के बाद की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई अवैध दवाओं आदि की बरामदगी और धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान की गई जब्ती के बीच कोई अंतर नहीं होगा। योजना और प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 50 के बारे में बहुत सख्त दृष्टिकोण अपनाया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता निषिद्ध संदिग्ध की बरामदगी और आरोपी की सजा को कानून की दृष्टि से खराब और अस्थिर बना सकती है। एक परिणाम के रूप में, उसी प्रावधान में आने वाले "व्यक्ति" शब्द को विस्तारित अर्थ देने के लिए कोई वारंट या औचित्य नहीं है ताकि कुछ बैग, वस्तु या कंटेनर या कुछ अन्य सामान को भी शामिल किया जा सके।

उसे ले गए।" (जोर दिया गया) 89। इस प्रकार, पवन कुमार (ऊपर) में बड़ी पीठ ने संदर्भ का बिना किसी अनिश्चितता के जवाब देते हुए कहा कि "एक बैग, ब्रीफकेस या ऐसा कोई भी सामान।

वस्तु या पात्र आदि को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता है। उन्हें एक अलग नाम दिया गया है और वे इस तरह से पहचान करने में सक्षम हैं। उन्हें दूर से भी मानव शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

होना।" न्यायालय ने तर्क दिया कि अलग-अलग क्षमता वाला व्यक्ति अपने शरीर पर अलग-अलग वस्तुओं को ले जा सकता है, लेकिन यह उन वस्तुओं को एक समान नहीं बनाता है।

शरीर का हिस्सा। अदालत ने कहा, "किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह अलग-अलग आकार, आयाम या वजन के बैग, एक ब्रीफकेस, एक सूटकेस, एक टिन का डिब्बा, एक थैला, एक झोला, एक गथरी, एक होल्डॉल, एक कार्टन आदि जैसी किसी भी संख्या में वस्तुओं को ले जा सकता है। हालाँकि, उन्हें ले जाते समय या उनके साथ चलते समय, कुछ अतिरिक्त प्रवाह या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटका देना होगा या सिर पर रखना होगा। आम बोलचाल में यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक विशेष वस्तु ले जा रहा है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि इसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि कैसे ले जाया गया था।" इसलिए पवन कुमार (ऊपर) ने 351 का निष्कर्ष निकाला।

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 352

कि एक बाहरी वस्तु जो शरीर का हिस्सा नहीं है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 में आने वाले "व्यक्ति" शब्द के दायरे से बाहर है।

90. पवन कुमार (ऊपर) में ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलाशी न केवल थैले की थी, बल्कि आरोपी के व्यक्ति की भी थी, हालांकि, प्रतिबंधित पदार्थ केवल थैले से बरामद किया गया था, न कि आरोपी के व्यक्ति से। हम जिस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हालांकि पवन कुमार (उपरोक्त) में तलाशी आरोपी के साथ-साथ थैले की भी थी, फिर भी चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी केवल थैले से हुई थी, इसलिए इस अदालत ने यह विचार रखा कि धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

91. राजस्थान राज्य बनाम दौलत राम में रिपोर्ट (2005) 7 एस. सी. सी.

36, आरोपी व्यक्ति के सिर पर ले जाए जा रहे एक थैले से अफीम बरामद की गई। इस अदालत ने पवन कुमार (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए कहा कि आरोपी व्यक्ति के थैले से की गई बरामदगी आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी नहीं होगी और इस प्रकार, धारा 50 को आकर्षित नहीं करेगी। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

“9. ... इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों को आकर्षित किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।”

92. हरियाणा राज्य बनाम माई राम में इस न्यायालय ने (2008) 8 में रिपोर्ट दी।

एस. सी. सी. 292 ने धारा 50 के दायरे की जांच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“14. ... धारा 50 को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है। इसका विस्तार किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (कालेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य, पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह और गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य देखें।

15. धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। इस स्थिति को बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुलझा लिया गया था। इसी तरह के एक प्रश्न की जाँच मदन लाल बनाम एच. पी. राज्य [(2003) 7 एस. सी. सी. 465] में की गई थी।”

[2023] 13 एस सी आर।

93. (2009) 15 एस. सी. सी. 795 में रिपोर्ट किए गए बलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में, दो थैलों से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, जिन पर आरोपी बैठा था, लेकिन कोई व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गई थी। यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करते हुए कि धारा 50 लागू नहीं होगी, निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता है:-

“22. इस स्तर पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी द्वारा ले जाए गए थैलों से खसखस की बरामदगी की गई थी, इसलिए यह निवेदन कि धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, कानूनी रूप से असमर्थनीय है।”

94. उपरोक्त दृष्टिकोण अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में (2010) 3 एस. सी. सी. 746 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी के कंधे के थैले की तलाशी लेते समय कुछ प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के तहत अनुपालन आवश्यक नहीं था और निम्नानुसार कहा गया था:-

“15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि व्यक्ति द्वारा ले जाए गए थैले, संक्षिप्त मामले आदि की तलाशी लेते समय अधिनियम की धारा 50 का प्रावधान भी लागू होगा और इसका गैर-अनुपालन अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए घातक होगा। हम विद्वान वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन या गैर-अनुपालन का प्रश्न केवल वहीं प्रासंगिक है जहां किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल है और उक्त धारा लागू नहीं होती है और न ही आकर्षित होती है जहां किसी व्यक्ति की कोई तलाशी शामिल नहीं है। थैले, छोटे डिब्बे, पात्र आदि से तलाशी और बरामदगी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि धारा 50 स्पष्ट रूप से केवल व्यक्ति की तलाशी की बात करती है। दूसरा, यह धारा उस व्यक्ति को तलाशी के उद्देश्य से राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी के लिए ले जाने की बात करती है। तीसरा, मदन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 7 एस. सी. सी. 465 के मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए हमारी सुविचारित राय में यह मुद्दा अब अभिन्न नहीं है।” (जोर दिया गया)

95. पवन कुमार (ऊपर) पर भी (2011) 3 एस. सी. सी. 521 में रिपोर्ट किए गए जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य में भरोसा किया गया था। उक्त मामले में, एक थैले से अफीम बरामद की गई थी जिसे आरोपी ले जा रहा था। धारा 50 को लागू नहीं माना गया क्योंकि आरोपी की तलाशी नहीं ली गई थी। यह माना गया था कि:-

“16. इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा ले जाए जा रहे थैले (थाली) से मादक पदार्थ/अफीम, यानी 1 किलो और 750 ग्राम बरामद किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में धारा 50 353 नहीं होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 354

लागू होता है।उपरोक्त धारा को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां आरोपी के शरीर की तलाशी के परिणामस्वरूप दवा/मादक पदार्थ/एनडीपीएस पदार्थ बरामद किया जाता है। यदि व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे पात्र से मादक पदार्थ की बरामदगी की जाती है, तो धारा 50 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जाएगा।” (जोर दिया गया)

96. सुरेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य में रिपोर्ट (2013) 1 एस. सी. सी.

550, उनकी व्यक्तिगत तलाशी के बाद आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाए गए वाहन में रखे पॉलीथीन के थैलों से अवैध वस्तुएं बरामद की गईं।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि धारा 50 की आवश्यकता का अनुपालन अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के लिए नहीं किया गया था, फिर भी वाहन से की गई वसूली के लिए यह प्रावधान लागू नहीं था।इसलिए, इस न्यायालय ने धारा 50 की एक सीमित व्याख्या दी और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“19. यद्यपि प्रतिबंधित (अफीम) का एक हिस्सा वाहन से बरामद किया गया था जिसके लिए धारा 50 लागू नहीं है, यदि हम वाहन से बरामद मात्रा को बाहर करते हैं, तो शेष इस तरह की सजा के लिए "वाणिज्यिक मात्रा" की शरारत के दायरे में नहीं आएगा।जेल में अवधि की अवधि और आज की तारीख तक जारी रहने पर ध्यान देते हुए और अपीलार्थियों से वर्जित पदार्थ की वसूली के संबंध में धारा 50 की उप-धारा (1) का पालन न करने को देखते हुए, हम निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हैं।”

(जोर दिया गया) 97।तदनुसार, धारा 50 को केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होने के रूप में समझा गया था और इसका विस्तार वाहन या पात्र या थैले की तलाशी तक नहीं होगा।धारा 50 की भाषा की व्याख्या किसी व्यक्ति के संबंध में तलाशी को शामिल करने के लिए की गई थी न कि परिसरों, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के लिए।

यह विचार रखने वाले निर्णय कि जब किसी थैले के साथ-साथ किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो धारा 50 का पालन किया जाना चाहिए

98. हालाँकि, (2007) 1 एस. सी. सी. 450 में रिपोर्ट किए गए दिलीप बनाम एम. पी. राज्य में, पवन कुमार (उपरोक्त) के विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था।उक्त मामले में, व्यक्ति की तलाशी लेते समय धारा 50 का पालन नहीं किया गया और आरोपी के स्कूटर से मादक पदार्थ बरामद किए गए।यह न्यायालय

अभियुक्त को बरी करते हुए कहा गया कि स्कूटर से की गई बरामदगी अस्वीकार्य होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में पवन कुमार (उपरोक्त) के फैसले पर गौर नहीं किया गया था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“12. स्कूटर से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती से पहले, अपीलार्थियों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी और यह माना जा सकता है कि उस समय भी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, हालांकि कानून में आवश्यक था।

X

X

X

X

15. हालांकि, निर्विवाद रूप से, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के प्रभाव का आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, जिस पर निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

16. इस मामले में, जहां तक स्कूटर की तलाशी का संबंध है, धारा 50 के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थियों के व्यक्तियों की भी तलाशी ली गई थी, पीडब्लू 10 की ओर से उक्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। यह नहीं किया गया।”

(जोर दिया गया) 99।(2009) 16 एस. सी. सी. 644 में रिपोर्ट किए गए भारत संघ बनाम शाह आलम में दिलीप (सुप्रा) के निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसमें आरोपी के कंधे के थैले से हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए थे। इस न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 50 लागू नहीं थी क्योंकि थैले से बरामदगी के बाद आरोपी के व्यक्ति से आगे कोई बरामदगी नहीं की गई थी। तदनुसार, वसूली को धारा 50 का उल्लंघन माना गया और आरोपी के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा गया। यह माना गया था कि:-

“15. श्री तेरडाल द्वारा किसी व्यक्ति की तलाशी और उसके द्वारा ले जाए गए सामान के बीच के अंतर के आधार पर दिया गया कानूनी प्रस्ताव असाधारण है, लेकिन उसकी प्रस्तुति इस मामले के तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। हमने इस मामले के रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है। शिकायतकर्ता, पीडब्लू 1 और जब्ती ज्ञापन (फरद बरामदगी) एक्स्ट केए-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों उत्तरदाताओं के शरीर की तलाशी ली गई थी, जिसके दौरान उनके द्वारा ले जाए गए कंधे के थैलों में हेरोइन के पैकेट पाए गए थे और वहां से बरामद किए गए थे।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 356

16. हाथ में मामले के तथ्य दिलीप और अन्न बनाम मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले के बहुत करीब हैं। एम. पी. की स्थिति जहाँ इसे पैराग्राफ 12, 15 और 16 में निम्नानुसार देखा गया था:...

17. मामले के तथ्यों पर हम मानते हैं कि प्रतिवादियों से हेरोइन की कथित बरामदगी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए की गई थी।

100. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा परमानंद (उपरोक्त) में लिया गया था। इस न्यायालय से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या व्यक्ति और उसके थैले की तलाशी के दौरान धारा 50 लागू होनी चाहिए। इस अदालत ने कहा कि यदि आरोपी की तलाशी लिए बिना थैले की तलाशी ली जाती है, तो धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। हालांकि, एक परिणाम के रूप में यह माना गया था कि यदि आरोपी द्वारा ले जाए गए थैले की उसकी तलाशी के साथ तलाशी ली जाती है, तो धारा 50 लागू होगी। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“15. इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए गए थैले की तलाशी ली जाती है और उसके व्यक्ति की कोई तलाशी नहीं ली जाती है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी। लेकिन अगर उसके द्वारा ले जाए गए थैले की तलाशी ली जाती है और उसके व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 लागू होगी। इस मामले में प्रतिवादी 1 परमानंद के थैले की तलाशी ली गई। थैले से अफीम बरामद की गई। उनकी व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई। प्रतिवादी 2 सूरजमल की व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई। इसलिए, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित इस न्यायालय के फैसलों के आलोक में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50

आवेदन।” (जोर दिया गया) 101। एस. के. में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा परमानंद (उपरोक्त) पर भरोसा किया गया था। राजू (ऊपर)। उक्त मामले में, पुलिस को सूचना मिली कि एक ड्रग डीलर के एक पार्क में जाने की संभावना है। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी की तलाशी ली गई और उसके पास डेढ़ किलोग्राम चरस पाया गया, जो उसके पास से एक जूट के थैले से बरामद किया गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि तलाशी को दूषित नहीं किया गया था क्योंकि धारा 50 का पालन किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि जब भी किसी व्यक्ति और उसके थैले की तलाशी ली जाती है, चाहे वसूली कहीं से भी की गई हो, धारा 50 का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि:-

“20. हमारे सामने जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या धारा 50 (1) का पालन करने की आवश्यकता थी जब अपीलार्थी के थैले से केवल चरस बरामद किया गया था और उसके व्यक्ति पर कोई चरस नहीं पाया गया था।

[2023] 13 एस सी आर।

इसके अलावा, यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर संबंधात्मक में दिया जाता है, तो क्या पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा धारा 50 की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया गया था।

21. ... अपीलार्थी पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा अपनी खोज करने से पहले उसकी खोज करने के लिए सहमत हो गया। तलाशी लेने पर, अपीलार्थी को केवल पीडब्लू 2 का व्यक्तिगत सामान मिला। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अपीलार्थी की तलाशी लेने पर, अपीलार्थी के पास से एक बिस्कुट रंग का जूट का थैला और रु। 2400 रुपये के 24 नोटों में 2400 रुपये नकद। अपीलार्थी के पतलून की बाईं जेब में 100-100 पाए गए। जब थैला खोला गया, तो डेढ़ किलोग्राम वजन के काले/गहरे भूरे रंग की उन्नीस आयताकार टूटी हुई चादरों वाला एक काला पॉलिथीन कवर बरामद किया गया। चादरों का परीक्षण किया गया और वे चरस पाए गए।

22. पीडब्लू 2 ने अपीलार्थी के थैले के साथ-साथ अपीलार्थी के पतलून की तलाशी ली। इसलिए, पीडब्लू 2 द्वारा की गई तलाशी न केवल उस थैले की थी जिसे अपीलार्थी ले जा रहा था, बल्कि अपीलार्थी के व्यक्ति की भी थी। चूंकि अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी भी शामिल थी, इसलिए इस मामले में धारा 50 को आकर्षित किया जाएगा। तदनुसार, पीडब्लू 2 को धारा 50 (1) की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक था। जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, धारा 50 के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता आकर्षित होती है, भले ही बंदी के व्यक्ति से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया हो या नहीं। इसलिए, पीडब्लू 2 के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपीलार्थी को राजपत्रित व्यक्ति की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके कानूनी अधिकार के बारे में सूचित करे।

अधिकारी या मजिस्ट्रेट।...” (जोर दिया गया) 102। इस प्रकार, एक दृष्टिकोण जो दिलीप (उपरोक्त) से उत्पन्न हुआ और एस. के. में निर्भर था। राजू (उपरोक्त) ने निहित किया कि यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है और उसके साथ उसके बैग की भी तलाशी ली जाती है, तो आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी लेते समय धारा 50 का लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। 103. हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि हालाँकि पवन कुमार (ऊपर) को एस. के. में संदर्भित किया गया है और उन पर विचार किया गया है। राजू (ऊपर) अभी तक, एस. के. में अदालत। राजू (ऊपर) ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पवन कुमार (ऊपर) में भी तलाशी न केवल आरोपी के व्यक्ति की थी, बल्कि उसके थैले की भी थी। ऐसी परिस्थितियों में भी पवन कुमार (उपरोक्त) की वृहद पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 50 तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि कोई भी धारा 357 नहीं है।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

अभियुक्त के व्यक्ति से बरामद। इस प्रकार, दोनों निर्णयों के बीच एक स्पष्ट टकराव है।

धारा 50 थैले, परिवहन आदि से की गई वसूली पर लागू नहीं होती है।

104. पंजाब राज्य बनाम बलविंदर सिंह में तीन-न्यायाधीशों की पीठ

(2019) 10 एस. सी. सी. 473 में रिपोर्ट किए गए प्रश्न पर विचार किया गया:-

“8. ... यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पदार्थ वाले वाहन के कब्जे में पाया जाता है, तो उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, जो अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती है; लेकिन वाहन की तलाशी के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी होती है, जो स्वतंत्र रूप से साबित होती है;

क्या वाहन की तलाशी में पाई गई सामग्री के संबंध में भी अभियुक्त अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने के आधार पर बरी होने का लाभ उठाने का हकदार होगा?”

105. उपरोक्त मामले में आरोपी के वाहन से खसखस बरामद किया गया था। इस न्यायालय ने धारा 50 के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए और विजयसिंह चंदुभा जडेजा (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि:-

“10. अधिनियम की धारा 50 किसी व्यक्ति को "व्यक्तिगत खोज" से संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है और विभिन्न सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है। यह केवल उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और कड़ाई से पालन करने पर है कि किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत खोज" के अनुसार बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ पर व्यक्ति के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में भरोसा किया जा सकता है।

X

X

X

X

12. इसके बाद, विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ को इस दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाने वाली है, उसे उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली जा सकती है। उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बलदेव सिंह के मामले में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया और पैराग्राफ 24 और 29 में चर्चा इस प्रकार थी:

[2023] 13 एस सी आर।

“24. यद्यपि बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में संविधान पीठ ने इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 निर्देशिका थी या नहीं या अनिवार्य थी, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करना अनिवार्य है कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी; संदिग्ध को उसके उक्त अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करने में विफलता उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगी, और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता, उसे दूषित नहीं कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह आवश्यक नहीं था कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में या लिखित रूप में होनी चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य था कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाए, यदि उसके द्वारा ऐसा आवश्यक हो। हम सम्मानपूर्वक इन निष्कर्षों से सहमत हैं। प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या संदिग्ध को दिए गए मूल्यवान अधिकार को भ्रम और प्रहसन बना देगी।

X

X

X

X

29. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जिस उद्देश्य के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अधिकार, सुरक्षा के रूप में, संदिग्ध को प्रदान किया गया है, अर्थात् शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचने के लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार से अवगत कराए। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जहां तक अधिकृत अधिकारी का दायित्व है, धारा 359

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। प्रावधान का पालन करने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और दोषसिद्धि को दूषित कर देगी यदि ऐसी तलाशी के दौरान केवल आरोपी व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद, संदिग्ध उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं।

उक्त प्रावधान।” (जोर दिया गया) 106। अदालत ने यह निर्णय दिया कि धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होगी न कि वाहनों या थैलों की तलाशी पर। यह पवन कुमार (ऊपर) और बलदेव सिंह (ऊपर) में निर्धारित अनुपात के अनुरूप था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

“15. जहां तक अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं की प्रयोज्यता का संबंध है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 का आदेश "व्यक्तिगत तलाशी" तक सीमित है और किसी वाहन या कंटेनर या परिसर की तलाशी के लिए नहीं है।

16. संविधान पीठ द्वारा बलदेव सिंह में अपने फैसले के पैरा 57 में दर्ज किए गए निष्कर्ष (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोषसिद्धि अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत तलाशी से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर "केवल" नहीं हो सकती है, लेकिन यदि रिकॉर्ड पर अन्य सबूत हैं, तो ऐसी सामग्री पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

17. तत्काल मामले में, अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज के परिणामस्वरूप कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ। भले ही ऐसी कोई वसूली हुई हो, लेकिन अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वाहन की तलाशी और उसके अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी साबित हो गई, केवल इसलिए कि जहां तक "व्यक्तिगत तलाशी" का संबंध है, अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था, कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि वाहन की तलाशी से बरामदगी के प्रभाव को अमान्य किया जा सके। ऐसा कोई भी विचार सीधे निष्कर्ष (3) में होगा जैसा कि ऊपर कहा गया है।”

(जोर दिया गया) 107। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि बलविंदर सिंह (ऊपर) में एस. के. का निर्णय। राजू (उपरोक्त) पर विचार नहीं किया गया, हालांकि, निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दिलीप (उपरोक्त) के मामले में माना गया और माना गया कि वह इस आधार पर सही कानून नहीं बना रहा है कि उसने बलदेव सिंह (उपर्युक्त) के फैसले पर विचार नहीं किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

“18. हालाँकि, दिलीप के मामले में इस न्यायालय के निर्णय ने उस भेद को स्वीकार नहीं किया है जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है और वाहन से वसूली के संबंध में भी अभियुक्त को लाभ प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा है, इस आधार पर कि व्यक्तिगत तलाशी से संबंधित धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। हमारे विचार में, दिलीप के मामले में उक्त फैसले में इस अदालत का निर्णय सही नहीं है और बलदेव सिंह और अन्य फैसलों में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।”

(जोर दिया गया)

एस. के. के बीच मतभेद का निपटारा करना। राजू और बलजिंदर सिंह

108. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिलेश भारती बनाम राज्य मामले में 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 303 में रिपोर्ट दी: (2020) 266 डी. एल. टी. 689, के पास बलविंदर सिंह (ऊपर) और एस. के. में व्यक्त राय के विभाजन पर गौर करने का अवसर था। राजू (ऊपर)। उच्च न्यायालय ने इसमें एस. के. द्वारा खींची गई विशिष्टता की बारीक रेखा का उल्लेख किया। राजू (ऊपर) जहाँ अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में रखी गई वस्तु से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही व्यक्ति से कुछ भी बरामद नहीं किया जाता है, धारा 50 का पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“26. यह अवलोकन करना आवश्यक है कि एस. के. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 05.09.2018 के फैसले के अनुसार। राजू उर्फ अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018) 9 एस. सी. सी. 708 में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए गए थैले की तलाशी ली जाती है, वहां उसके व्यक्ति की कोई तलाशी नहीं ली जाती है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी भी की जाती है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 50 के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे।” पंजाब राज्य बनाम बलजिंदर सिंह और एक अन्य” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 15.10.2019 का फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक फैसला है जिसमें अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई थी, लेकिन 361 अवैध पदार्थ की बरामदगी हुई थी।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 362

उस वाहन से जिसमें आरोपी व्यक्ति बैठे थे और उनमें से एक चालक था। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “पंजाब राज्य बनाम हरजिंदर सिंह और अन्य” (उपरोक्त) मामले में कहा है कि दिलीप के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सही नहीं है और यह बलदेव सिंह

और अन्य निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के निर्णय, एस. के. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में टिप्पणियों के खिलाफ है। राजू आलिया अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) दिनांक 05.09.2018 (जिसे "पंजाब राज्य बनाम. बलजिंदर सिंह और एक अन्य" (ऊपर) दिनांक 15.10.2019 में नहीं कहा गया है) एक निश्चित अंतर निर्धारित करता है और इन परिस्थितियों में, जहां एक आरोपी द्वारा उसके हाथ में रखी गई वस्तु से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है और ऐसे आरोपी के व्यक्ति की तलाशी भी की जाती है, जिससे किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली नहीं होती है, हालांकि, "एसके" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देखते हुए, उसकी व्यक्तिगत खोज से किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तिगत संपत्ति की बरामदगी होती है। राजू अलिया अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर), एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 50 का गैर-अनुपालन प्रथम दृष्टया होगा।

पुनर्प्राप्ति को दूषित करें।" (जोर दिया गया) **109**। ऊपर उल्लिखित अखिलेश भारती (उपरोक्त) पर दिल्ली उच्च न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने कमरुद्दीन बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.), **2022** एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल **3761** मामले में विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"23. एस. के. राजू (उपर्युक्त) के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि उसमें अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी भी शामिल थी, इसलिए उस मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 को आकर्षित किया जाएगा और तदनुसार एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

24. जहाँ तक निर्णय एच. पी. बनाम राज्य के मामले में राज्य के लिए विद्वान ए. पी. पी. द्वारा निर्भर था। पवन कुमार के संबंध में, यह कहा जाना चाहिए कि एस. के. राजू (ऊपर) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पवन कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय पर ध्यान दिया है। दोनों स्थितियों के बीच के अंतर पर विचार किया गया है और यदि किसी अभियुक्त द्वारा ले जाए जा रहे थे, वस्तु या पात्र आदि की अपीलार्थी के व्यक्ति की कोई तलाशी लिए बिना स्वतंत्र रूप से तलाशी ली जाती है, तो निर्णय में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

पवन कुमार (ऊपर) के मामले में आवेदन होगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां आरोपी के व्यक्ति की तलाशी के साथ-साथ उसके हाथ में रखे बैग, वस्तु या कंटेनर की तलाशी ली जाती है, वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन करने की आवश्यकता होती है।

(जोर दिया गया) 110। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक गलत धारणा के तहत काम किया कि पवन कुमार (ऊपर) में तलाशी केवल थैले की थी, न कि आरोपी की। हालाँकि, दोहराने की कीमत पर, हम कहते हैं कि पवन कुमार (ऊपर) में तलाशी आरोपी के साथ-साथ उस बैग की भी थी जो वह ले जा रहा था। यह पवन कुमार (ऊपर) के फैसले के पैरा 2 से स्पष्ट है जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया है:-

“2. ... इसके बाद आरोपी और उसके द्वारा ले जाए जा रहे थैले की तलाशी ली गई और थैले के अंदर पॉलिथीन में लिपटे 360 ग्राम अफीम मिली।...”

(जोर दिया गया)

111. थान कुंवर बनाम हरियाणा राज्य में (2020) 5 एस. सी. सी. में रिपोर्ट की गई

260, इस न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उक्त मामले में, अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज से कोई बरामदगी नहीं हुई। हालाँकि, थैले की तलाशी लेने पर अफीम बरामद की गई। इस न्यायालय ने अलग-अलग विचारों को स्वीकार किया और एस. के. के निर्णय पर ध्यान दिया। हरजिंदर सिंह (ऊपर) का फैसला करते समय राजू (ऊपर) पर विचार नहीं किया गया था। हालाँकि, बाद वाले को लागू किया गया था और इसे बलदेव सिंह (सुप्रा) के अनुरूप माना गया था। यह माना गया था कि:-

“22. तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जो इस मुद्दे से सीधे निपटती थी, अपीलार्थी द्वारा पैरा 16 पर दी गई दिलीप (उपरोक्त) निर्भरता में दृष्टिकोण की शुद्धता उपलब्ध नहीं हो सकती है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हम एस. के. मामले में इस न्यायालय के तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में की गई टिप्पणी से अनजान नहीं हैं। राजू (उपरोक्त), जो ऐसा प्रतीत होता है, को उस पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया जिसने बाद में बलविंदर सिंह (उपर्युक्त) मामले में फैसला सुनाया। हालाँकि हम देखते हैं कि बाद का निर्णय बलदेव सिंह (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले से प्रेरित है। हम यह भी देखते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कथित व्यक्तिगत खोज पर कुछ भी बरामद किया गया हो। बरामदगी थैले 363 से निकाली गई थी।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 364

जिसके लिए यह तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन आवश्यक नहीं है।”

(जोर दिया गया) 112। इस अदालत ने 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1223 में रिपोर्ट किए गए कल्लू खान बनाम राजस्थान राज्य मामले में बलविंदर सिंह (उपरोक्त) का अनुसरण किया, जिसमें आरोपी की मोटरसाइकिल से तलाशी और जब्ती की गई थी। यह न्यायालय यह

अभिनिर्धारित करते हुए कि तलाशी को धारा 50 के गैर-अनुपालन के कारण दूषित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की तलाशी पर लागू होता है, जिसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“15. साथ ही, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दी गई दलीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं क्योंकि अभियुक्त के व्यक्ति से निषिद्ध पदार्थ की कोई वसूली नहीं की गई है, जिसके लिए धारा 50 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल की तलाशी में, प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती की गई थी, जैसा कि पता चला है। इसलिए, धारा 50 का अनुपालन वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं करता है। विजयसिंह (उपर्युक्त) के मामले में यह तय किया गया है कि केवल व्यक्तिगत तलाशी के मामले में, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन सुरिंदर कुमार (उपर्युक्त) और बलजिंदर सिंह (उपर्युक्त) के निर्णयों के बाद वाहन के मामले में नहीं। इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, वकील द्वारा प्रस्तुत एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के तर्क को एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।”

(जोर दिया गया) 113। इसी तरह, हाल के एक फैसले में, दयालू कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में इस अदालत ने (2022) 12 एस. सी. सी. 398 में कहा कि धारा 50 का एक विस्तारित दृष्टिकोण अभियुक्त द्वारा ले जाए जा रहे नशीले पदार्थों वाले पॉलिथीन बैग को शामिल करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। इस अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि आरोपी को अधिकारी से खुद की तलाशी लेने के लिए तीन विकल्प दिए गए थे, जो धारा 50 का उल्लंघन था, इसलिए पॉलीथीन बैग की भी तलाशी को दूषित किया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

“4. विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत दो विकल्पों के रूप में निर्धारित किए गए विकल्प के अलावा तीसरा विकल्प लेने का विकल्प दिया गया है जो कुछ ऐसा है जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कानून के अधिदेश के विपरीत जाता है और एक तरह से अभियुक्त को उक्त धारा द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण को प्रभावित करता है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने राजस्थान राज्य बनाम परमानंद [राजस्थान राज्य बनाम परमानंद, (2014) 5 एस. सी. सी. 345], अधिक विशिष्ट रूप से, एस. सी. सी. पैरा 19 के निर्णय पर भरोसा किया है। इसके बदले में निर्णय ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एस. सी. सी. 172] मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे

में सूचित किए बिना पूर्व सूचना पर तलाशी ली जाती है कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी के लिए ले जाया जाना है और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो तदनुसार उसकी तलाशी लेने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगी जहां दोषसिद्धि केवल उसके व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तुओं के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है। तीसरा विकल्प जो अभियुक्त को संबंधित अधिकारी से खुद की तलाशी लेने के लिए दिया गया था क्योंकि वह क़ानून का हिस्सा नहीं था, उसे अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता था और इस प्रकार, उससे वसूली दूषित हो जाती है।

5. मामले के तथ्यों के संदर्भ में, हमें पता चलता है कि बरामदगी एक पॉलिथीन बैग में थी जिसे एक कांवड़ पर ले जाया जा रहा था। स्वास्थ्यलाभ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ था। विद्वान वकील यह तर्क देते हुए की गई टिप्पणियों के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं कि यदि व्यक्तिगत खोज को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से दूषित किया जाता है, तो अन्यथा की गई वसूली भी दूषित हो जाएगी और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण नहीं दे सकते हैं जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए।”

(जोर दिया गया)

अंतिम विश्लेषण

114. केवल एक विचार जिसके साथ हमने इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया है, जो बीर सिंह (ऊपर) से शुरू होकर दयालू कश्यप (ऊपर) तक हैं, वह यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 को कई तरीकों से समझने और समझने की कोशिश की गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के कुछ फैसलों में "व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़े" की अवधारणा को लागू किया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि थैला आदि अभियुक्त के तत्काल कब्जे में है और ऐसे थैले आदि की तलाशी ली जाती है, तो भी, 365 के अनुसार।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

उन निर्णयों पर धारा 50 लागू होगी। वैध रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 50 की व्याख्या केवल अभियुक्त के किसी व्यक्ति की तलाशी तक सीमित करने से उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि संबंधित व्यक्ति की आशंका बनी रह सकती है कि उसे अभी भी पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक मात्रा ले जाने के अधिक कठोर दंड के लिए फंसाया जा सकता है, जिससे धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान की कठोरता से छुटकारा पा कर व्यक्ति के साथ वाहन, थैले आदि में प्रतिबंधित पदार्थ को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हम जो बताने की कोशिश

कर रहे हैं, उसे राज्य बनाम क्लेन के मामले में समझाया गया है। जॉन सी. डेरनबाचेट। अल।, ए प्रैक्टिकल गाइड टू लीगल राइटिंग एंड लीगल मेथड (1994)। उक्त मामले में, अमेरिकी अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से जब ऐसा व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करता था, लेकिन पेड़ के टुकड़ों की मदद से वस्तु को चुराने की कोशिश करता था। कानून ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि चोरी होने के लिए प्रतिवादी को शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। इस मामले में, हालांकि प्रतिवादी ने कभी घर में प्रवेश नहीं किया, फिर भी उसने खिड़की के माध्यम से अपने पेड़ के टुकड़ों को बढ़ाया। अदालत ने कहा कि, "स्निप्स और उनकी बांह के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है क्योंकि स्निप्स द्वारा प्रवेश केवल क्लेन के व्यक्ति का विस्तार था।" इसलिए, उक्त मामले में, जिस वस्तु को कोई व्यक्ति ले जा रहा था, उसे उसके शरीर का हिस्सा माना गया था। "व्यक्तिगत खोज" शब्द की व्याख्या करते समय भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता था। हालांकि, स्पष्ट और स्पष्ट वैधानिक प्रावधान को देखते हुए, बलदेव में समझाई गई व्याख्या के अलावा किसी अन्य तरीके से धारा 50 की व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है

सिंह (ऊपर) और पवन कुमार (ऊपर)।

115. यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी भी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट और स्पष्ट है। कानून विधायिका का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। न्यायाधीश ने सीखा हाथ

उन्होंने कहा, "कानूनों को यूक्लिड के सिद्धांतों के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए।" (देखिए: लेहाई घाटी

कोयला कंपनी वी. येनसावेज, **218** एफआर **547**)। इस विचार को संघ में दोहराया गया था भारत बनाम वेडेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा, (1990) 1 एस. सी. सी. 277।

366

116. डी. आर. वेंकटाचलम बनाम डी. परिवहन आयुक्त, (1977)

2 एस. सी. सी. 273 में यह कहा गया कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के प्राथमिकता से निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान को कुछ हद तक तय किया गया है। वे व्याख्या के भेष में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

117. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो संशोधन, संशोधन या निरसन करना विधायिका का काम है।

यदि आवश्यक समझा जाए। (देखिए: ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पीएनबी

कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (2000) 5 एस. सी. सी. 515)। विधायी मामला छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की भाषा सरल और स्पष्ट है। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है जैसा कि इस न्यायालय के कई फैसलों में किया गया था जिनका हमने अपने फैसले में उल्लेख किया है।

118. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से कानून को पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। प्रथम सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण कानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामला चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामला चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक कानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड का संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि एक विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण पूरे कानून का सुसंगत अधिनियमन करे। यह तब अधिक होगा जब किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणाम सामने आते हैं जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकते थे।

“एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा, “डैनकवर्ट्स, एल. जे. ने कहा।

आर्टेमिड बनाम प्रोकोपिड, (1966) 1 क्यू. बी. 878: (1965) 3 सभी ईआर 539: (1965) 3 डब्ल्यूएलआर 1011 (सीए)] (सभी ईआर पी पर 544-1)”, को किसी कानून में आरोपित नहीं किया जाना है यदि

कुछ अन्य निर्माण उपलब्ध हैं। “जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना “कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम देगा”, हमें “शब्दों के लिए कुछ हिंसा करनी चाहिए” और इसलिए

उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करें और एक तर्कसंगत निर्माण करें। [ल्यूक बनाम आई. आर. सी. [1963 ए. सी. 557: (1963) 1 सभी ईआर 655: (1963) 2 367

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 368

WLR 559 (HL)] जहाँ AC p पर है। 577 उन्होंने यह भी कहा: (सभी ई. आर. पी. 664-आई)

“यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि मसौदा तैयार करने का हमारा मानक ऐसा है कि शायद ही कभी प्रकट होता है।”] (देखिए: पद्म सुंदरा राव (मृत) और अन्य बनाम राज्या टी. एन & ओआरएस., (2002) 3 एससीसी 533) 119. इस प्रकार, एस. के. के बीच कोई सीधा टकराव नहीं है। राजू (ऊपर) और बलजिंदर सिंह (ऊपर)। यह ध्यान देने योग्य है कि एस. के. में। राजू (ऊपर) को उस बैग से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था जिसे आरोपी ले जा रहा था, जबकि बलजिंदर सिंह (ऊपर) को वाहन से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। यह किसी भी वस्तु के “व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़े” होने की अवधारणा को लागू करते समय भी बहुत अंतर पैदा करता है। परमानंद (ऊपर) ने दिलीप (ऊपर) के फैसले पर भरोसा करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि यदि दोनों, आरोपी के व्यक्ति के साथ-साथ थैले की तलाशी ली जाती है और अंततः थैले से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति की तलाशी के समान ही अच्छा है और इसलिए, धारा 50 लागू होगी। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि दिलीप (ऊपर) ने पवन कुमार (ऊपर) को ध्यान में नहीं रखा है जो एक बड़ी पीठ का है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि परमानंद (ऊपर) में अदालत ने पवन कुमार (ऊपर) पर गौर किया, फिर भी अंततः इसने दिलीप (ऊपर) का अनुसरण किया और यह विचार रखा कि यदि आरोपी द्वारा ले जाए गए थैले की तलाशी ली जाती है और उसके व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 लागू होगी। यह कुछ ऐसा है जो पवन कुमार (ऊपर) में बड़ी पीठ द्वारा कही गई बात से परे है। दूसरी ओर, बलजिंदर सिंह (ऊपर) का कहना है कि दिलीप (ऊपर) एक अच्छा कानून नहीं बनाते हैं।

120. वर्तमान मामले के तथ्यों में, परमानंद (उपरोक्त) और एस. के. के अनुपात को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। राजू (ऊपर)। दोहराने की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि हाथ में मामले में, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी के व्यक्ति की तलाशी भी उस बैग के साथ की गई थी जिसे वह अपने कंधे पर ले जा रहा था।

121. हम एसके के संबंध में आगे कुछ भी कहने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। राजू (ऊपर) के साथ-साथ बलविंदर सिंह (ऊपर)। हम कानून के सिद्धांतों का पालन करते हैं जैसा कि बलदेव सिंह (ऊपर) में संविधान पीठ और पवन कुमार (ऊपर) में संदर्भ का जवाब देने वाली बड़ी पीठ द्वारा समझाया गया है।

122. बलदेव सिंह (ऊपर) में यह देखा गया है कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक सामाजिक बीमारी है। जहां नशीली दवाओं की लत समाज के महत्वपूर्ण अंगों को खा जाती है, वहीं नशीली दवाओं की तस्करी न केवल देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों को खा जाती है, बल्कि

मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अवैध धन का उपयोग अक्सर आतंकवाद को बढ़ावा देने सहित अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसने महामारी के आयाम हासिल कर लिए हैं, राज्य की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है, व्यवस्था को भ्रष्ट किया है और देश के भविष्य के लिए हानिकारक है। उक्त निर्णय में कुछ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें भारत सरकार ने अनुसमर्थित किया है। इसलिए, यह पूरी तरह से आवश्यक है कि जो लोग इस तरह की नापाक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें तकनीकी अनुरोधों पर मुक्त नहीं होना चाहिए, जो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में रखे जाने वाले सामान की थोड़ी सी आवाजाही से सेकंड के एक अंश में उनके लाभ के लिए काम आते हैं, जिसमें आपत्तिजनक वस्तु हो सकती है।

123. यह मामला हमें सात न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों की याद दिलाता है।

केशव मिल्स कं. लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की पीठ बनाम. आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद, (1965) 2 एस. सी. आर. 908: आकाशवाणी 1965

एससी 1636। हम प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:-

“23. इस प्रश्न से निपटने के लिए कि क्या न्यू जहांगीर मिल्स मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय, [1960] 1 एस. सी. आर. 249, और पेटलैड कंपनी। लिमिटेड मामले, [1963] यदि, 1 एस. सी. आर. 871 पर हमारे द्वारा पुनर्विचार और संशोधन किया जाना चाहिए, तो हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे मामलों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। श्री पालखीवाला ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि एक उचित मामले में, इस न्यायालय के पास अपने पहले के फैसलों पर पुनर्विचार करने और उन्हें संशोधित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है, और इसलिए, यह अमूर्त प्रश्न कि क्या ऐसी शक्ति इस न्यायालय में निहित है या नहीं, हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय स्वाभाविक रूप से कुछ उचित सीमाओं को लागू करना चाहेगा और अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार और संशोधन के लिए याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा, जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाले और पर्याप्त कारण हैं। यह सामान्य न्यायिक अनुभव है कि वैधानिक या संवैधानिक प्रावधानों के अर्थ के प्रश्नों से जुड़े कानून के मामलों में, दो विचार अक्सर यथोचित रूप से संभव होते हैं और जब न्यायिक दृष्टिकोण को दो उचित रूप से संभव विचारों के बीच चयन करना होता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर बहुत ही भिन्न और नाजुक होती है। जब यह न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है और कानून के किसी भी बिंदु पर उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की औचित्य या शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता होती है, तो इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्णय देना खुला होगा कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यथोचित रूप से संभव है, वैकल्पिक दृष्टिकोण जो उचित रूप से भी संभव है, बेहतर है और 369 होना चाहिए।

रंजन कुमार चड्ढा बनाम

वरीयता दी जाए। ऐसे मामले में, चयन उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के बीच है, जिसका निर्णय अपील के तहत है, और वैकल्पिक दृष्टिकोण जो इस न्यायालय को अधिक उचित प्रतीत होता है; और उच्च न्यायालय की वरीयता में अपने विचार को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। लेकिन जहां इस न्यायालय के पिछले निर्णय ने एक वैधानिक प्रावधान के निर्माण के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 66 (4) के रूप में, अलग-अलग विचार अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने चाहिए। जब यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पहले से लिए गए दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए, तो यह आवश्यक रूप से इस तरह की समीक्षा और संशोधन के लिए एक पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है कि हालांकि पहले का दृष्टिकोण एक उचित रूप से संभव दृष्टिकोण है, वैकल्पिक दृष्टिकोण जो बाद के अवसर पर दबाया जाता है वह अधिक उचित है। अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करते समय, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित में या किसी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। जब यह न्यायालय विधि के प्रश्नों का निर्णय करता है, तो इसके निर्णय, अनुच्छेद 141 के तहत, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, और इसलिए, देश में विधि की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश करने और बनाए रखने के लिए इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग करना कि बाद में न्यायालय के समक्ष रखा गया दृष्टिकोण अधिक उचित प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे लगातार बचा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के किसी अवसर पर, न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि उसका पूर्व निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए; लेकिन इससे पहले कि पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे। यह हमेशा कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा:- उस असंवेदनशीलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है जिस पर पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन के लिए याचिका आधारित है? पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, या क्या न्यायालय का ध्यान किसी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया था, या क्या इस मुद्दे पर इस न्यायालय के किसी पिछले निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था? क्या अदालत इस तरह की याचिका पर निष्पक्ष सुनवाई कर रही है?

[2023] 13 एस सी आर।

सर्वसम्मत है कि पहले के दृष्टिकोण में ऐसी त्रुटि है? इस त्रुटि का कानून के सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक भलाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले के निर्णय का बाद के अवसरों पर इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है? और, क्या पहले के निर्णय को वापस लेने से जनता को असुविधा, कठिनाई या शरारत होगी? जब भी इस न्यायालय को अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो इन और अन्य प्रासंगिक विचारों को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये विचार तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले का निर्णय इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है।”

(जोर दिया गया) 124। इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित अंतिम तीन पंक्तियाँ, "ये

विचार तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पूर्व निर्णय के विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है।

यह न्यायालय।” हमें यह कहने के लिए राजी करें कि हमें कानून के सिद्धांत का पालन करना चाहिए जैसा कि बलदेव सिंह (ऊपर) में संविधान पीठ और पवन कुमार (ऊपर) में बड़ी पीठ द्वारा समझाया गया है।

125. सभी पूर्वगामी कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया गया था और साथ ही, उच्च न्यायालय यह कहने में भी सही था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वसूली थैले से हुई थी।

126. परिणामस्वरूप, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। 127. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस

सहायता दीः नेहा शर्मा, एलसीआरए